उन्नति विचार

वर्ष : 9 अंक : 2 अप्रैल-जून, 2004

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
विकेन्द्रित शासन में नागरिक नेताः महत्त्व और भूमिका

मंतव्य 16
गरीबी और स्त्री-पुरुष भेदभावः लघु ऋण की मर्यादाएं

आपके लिए 17
गैर-सरकारी संगठनों में परिणाम-आधारित संचालन

वित्त मंत्री को 'वाणी' का आवेदन-पत्र 22

अपनी बात 23
सामाजिक अलगाव से समावेश - पीआरए, विकलांगता और भेदभाव संबंधी अनुभव

सार्वजनिक सुनवाईः पर्यावरण संरक्षण का नाटक - केरल का अनुभव 29

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 31

संदर्भ सामग्री 34

अपने बारे में 37

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

नागरिकता और शासनः विकास के अवसर

दुनिया भर में राज्य नामक संस्था चर्चा का विषय बनी हुई है। वैश्विक अर्थतंत्र उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माहौल में फंसा हुआ है तब राज्य को लेकर कुछ आधारभूत प्रश्न खड़े हुए हैं और वे हैं कि सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, वह क्या कर सकती है, श्रेष्ठ रूप से कैसे कर सकती है। राज्य से संबंधित इन प्रश्नों का उत्तर विकास के संदर्भ में प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। जिनका विकास किया जाना है वे नागरिक हैं, और वे जिसमें रहते हैं वह राज्य है और पर्यावरण है। अतः यह महत्त्वपूर्ण हो गया है नागरिकों की भूमिका राज्य के संदर्भ में क्या होनी चाहिए। राज्य नागरिकों के लिए है, नागरिक राज्य के लिए नहीं। अतः खासतौर से मध्य युग के बाद राज्य की भूमिका मात्र आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बनाये रखने तक ही सीमित नहीं रही, वरन् सभ्य समाज के समग्र विकास संबंधी उसकी भूमिका अधिक स्पष्ट बनती गई है। इसी भाँति नागरिक मात्र प्रजा या जनता नहीं वरन् यह अपेक्षित हो गया है कि वे शासन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभायें। यह वांछनीय है कि राज्य और नागरिक दोनों परस्पर सहयोग देकर पारस्परिक क्षमता बढ़ायें।

राज्य को अपनी शासन व्यवस्था में मात्र विकास करने पर ध्यान केन्द्रित नहीं करना है, वरन् नागरिकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो या समाजवादी, राज्य के कार्य की और उसकी भूमिका की मर्यादायें स्पष्ट हो चुकी हैं। आर्थिक चमत्कार भी राज्य की सक्रिय भूमिका के बिना संभव नहीं हैं, यह भी द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के अनुभवों से सिद्ध हो चुका है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि ये मर्यादायें दूर करने में सभ्य समाज की भूमिका अधिक सक्रिय हो। नागरिक, नागरिक समूह और नागरिक नेता राज्य की असफलताओं को और बाजार की निर्दयताओं को नियंत्रण करने में जैसे ही अधिक सक्रिय होंगे वैसे ही सामाजिक व आर्थिक विकास अधिक समतापूर्ण होगा। नागरिकों की सक्रियता ही सही-सच्चे नागरिकता को उजागर करती है। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय का खड़ा होना लोकतंत्र को अधिक स्थायी बनाने का श्रेष्ठ मार्ग है। अतः मतदाताओं को अपने नागरिकता का उपयोग राज्य को समतामूलक कार्य करने का दायित्व निभाने के लिए करना है। भारत में दलितों, महिलाओं, आदिवासियों और समाज में पिछड़ गये वर्गों को शासन व्यवस्था में सिर्फ मतदाता के रूप में नहीं वरन् सहभागी के रूप में भागीदार बनने की चुनौती झेलनी होगी। मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करने हेतु ऐसी सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। राज्य को अधिक लोकतांत्रिक, विकेन्द्रित, सहभागी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए नागरिकों का कर्त्तव्य इस अर्थ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। तभी विकास के अवसर समाज के सभी नागरिकों को अधिक समानता के साथ प्राप्त होंगे।

विकेन्द्रित शासन में नागरिक नेता: महत्त्व और भूमिका

नई दिल्ली स्थित 'प्रिया' द्वारा लखनऊ में जनवरी 2004 के दौरान आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और कार्यशाला के आधार पर यह लेख 'उन्नति' के **श्री बिनोय आचार्य** और **सुश्री स्वाति सिन्हा** ने तैयार किया है। इस लेख में, नागरिकता क्या है, इसके ऐतिहासिक विहंगावलोकन, नागरिकता और शासन के बीच का संबंध, सक्रिय नागरिकता के महत्वपूर्ण लक्षणों, सक्रिय नागरिकता के मार्ग के अवरोधों तथा नागरिक नेताओं की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। भूमिका के संबंध में अधिक स्पष्टता लाने हेतु सक्रिय नागरिकत्व के अनेक कार्यगत पहलू भी इस लेख में वर्णित हैं।

नागरिकता के विचार का मूल

1998 की 'न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी' के अनुसार नागरिक की आधारभूत व्याख्या इस प्रकार दी गई है: 'राज्य का कानूनी तौर पर मान्य राष्ट्रीय मूल निवासी या बनाया हुआ निवासी।' सरल शब्दों में इसका अर्थ यों किया जा सकता है - नागरिक एक कानूनी दर्जा है और वह राज्य की सदस्यता धारण करता है और यह जन्म से हो सकती है या फिर प्राप्त की हुई हो सकती है। यह नागरिक और वह जिस राज्य है में रहता उस के बीच के संबंधों को भी प्रतिबिम्बित करती है, फिर वे संबंध बनाये रखने के लिए दोनों कुछेक दायित्व एवं भूमिकाएँ निभाते हैं। सामान्यतया लोकतांत्रिक राज्य में राज्य नागरिकों से कई दायित्वों की मांग करता है और सभी नागरिकों को वे दायित्व वहन करने होते हैं। परंतु बदले में राज्य को भी नागरिक एवं नागरिक समूहों के प्रति अपना दायित्व निभाना पड़ता है।

राज्य और नागरिकों के बीच लेन-देन का व्यवहार कोई नया नहीं है। परंतु अगर हम अपने इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि नागरिकता के उपयुक्त लक्षण धीमे-धीमे उभर आए हैं। पहले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नागरिकता के ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं थे, और वे स्त्री-पुरुष, उम्र, बिरादरी और जाति पर आधारित थे। ईसा पूर्व छठी सदी में प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र बहुत ही भागीदारी पूर्ण था। नीति विषयक प्रस्ताव गढ़ने हेतु स्वैच्छिक रूप से 500 नागरिकों का चयन करने की प्रणाली थी पर वहां स्त्रियों और पुरुषों के बीच भेदभाव था। नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य पुरुषों तक सीमित थे। स्त्रियां नागरिक नहीं हो सकती थी अतः वे उस व्यवस्था से बहिष्कृत थी। यूरोप में और अमेरिका में 17वीं और 18वीं सदी में जिस राज्य का नागरिक होता था उसका दावा करने का अधिकार था। इसमें बोलने, विचारने, पूजा करने और सम्पति रखने के नागरिक अधिकार समाविष्ट हैं। ये अधिकार नागरिकों के हों, इसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं की गईं थी। सन् 1789 में फ्रांस की क्रांति में 'नागरिक' शब्द प्रचलित हुआ जिसके परिणामस्वरूप फ्रांस एक गणतंत्र बना। उसमें यह कहा गया कि 'सभी नागरिक समान हैं एवं उनको समान अधिकार हैं।' यद्यपि पुरुषों और स्त्रियों का सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक माना गया था, परंतु पुरुषों को अधिक महत्व दिया गया और ऐसा तर्क दिया गया कि स्त्रियों के हित में उनके पति और पिता बोलते हैं।

19वीं सदी में भी लोगों को स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रह था। नागरिकता का अर्थ राजनीतिक सहभागिता का आधार भी होने लगा। 1920 के दशक तक ब्रिटेन में पुरुष एक व्यक्ति के रूप में बिना कानूनी बाधा के मतदान कर सकते थे, परंतु स्त्रियां कानूनी बाधा की वजह से मतदान नहीं कर सकती थीं। इस तरह स्त्रियों को 1920 तक मतदान का कानूनी अधिकार नहीं था। 1920 तक अधिकांश देशों में स्त्रियों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में ही रखा गया था। उनमें उन्हें मतदान का अधिकार न था परंतु स्त्रियों के संगठनों द्वारा किये गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप अमेरिका में समान अधिकारों संबंधी 19वां संशोधन किया गया। उसके अनुसार 'अमेरिका के नागरिकों के मताधिकार का अमेरिका द्वारा या किसी भी राज्य द्वारा जाति के आधार पर इन्कार नहीं किया जा सकेगा अथवा उसे सीमित नहीं किया जा सकेगा।' 1920 में ऐसा कानून बना जिसमें स्त्रियों को सभी चुनावों में मताधिकार प्राप्त हुआ। 20वीं सदी में टी. एच.

नागरिकता का अर्थ

नागरिकता का अर्थ यह है कि सरकार और नागरिक दोनों परस्पर स्वामित्व का हक रखते हैं। जिस समुदाय में लोग जीते हैं उस समुदाय की सम्पूर्ण सदस्यता धारण करते हैं। धर्म, जाति, रंग, सम्प्रदाय या स्त्री-पुरुष के भेदभाव के बिना उनके अपने जुड़ाव की शर्तें लोगों की सहभागिता द्वारा तय होती हैं। यह एक दर्जा है। यह व्यक्तियों को समान अधिकार, कर्तव्य स्वतंत्रता और नियंत्रण, सत्ता, और दायित्व देता है। नागरिकत्व सर्वांगीण नागरिक पहचान है जिसका निर्माण किसी राष्ट्र-राज्य द्वारा हुआ है और ऐसी भावना जन्म लेती है कि व्यक्ति उस राष्ट्र-राज्य का है।

मार्शल ने कहा कि नागरिक के रूप में समान अधिकार और कर्त्तव्य लोगों के समुदाय को सम्पूर्ण सदस्य बनाते हैं। उसने सामाजिक अधिकारों तथा राजनीतिक अधिकारों के महत्व पर बल दिया। उसके मतानुसार सामाजिक अधिकार अर्थात् कल्याण का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, समाज में सहभागी होने का अधिकार और समाज के स्तर के अनुसार सुसंस्कृत जीवन जीने का अधिकार है।

ऐतिहासिक विहंगावलोकन करने पर ऐसा नजर आता है कि स्त्रियाँ एक ऐसा विशाल समूह थी जिसे सम्पूर्ण नागरिकता के अधिकार नहीं मिले थे। कई देशों में उन्हें नागरिकता के अधिकार दिये ही नहीं गए, वहीं भारत जैसे अन्य देशों में संविधान में स्त्रियों को समान अधिकार दिये गए हैं। परिणामस्वरूप समानता हेतु राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में विरोधाभास उत्पन्न हो गया है।

20वीं सदी के सिद्धांतकार टी. एच. मार्शल ने नागरिकता का जो विचार दिया है उसमें मात्र राजनीतिक, राष्ट्रीय सरकारों तथा कानूनी व्यवस्था पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया, परंतु समाज के सभी स्तरों के समूह के साथ व्यक्तियों के संपर्क के विषय में चिंतन किया गया है। यह विचार समाज में पिछड़ गए वर्गों के द्वारा समान अधिकारों की मांग का रास्ता बताता है, और जाति, बिरादरी, उम्र, संप्रदाय, वंश और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभावों के निवारण का मार्ग बताता है। वैसे ऐसा बताया गया है कि अधिकांश तथाकथित प्रजातंत्रिक देशों में देखें तो अधिक उत्तम जीवन स्तर, तकनीकी प्रगति और लंबे आयुष्य के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है लेकिन अब भी करोड़ों लोग गरीबी में जीते हैं, वे मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं और निरक्षरता तथा अस्वस्थता अब भी विद्यामान है। यह ऐसा दर्शाता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

लोकतंत्र का भारतीय संदर्भ

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो शासन व्यवस्था शुरू हुई उस पर हम दृष्टिपात करें तो हमें लगेगा कि पूर्व में लोकतांत्रिक ढांचे में भी विकास केन्द्रित मॉडल ही था। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में विकास केन्द्रित मॉडल के विरुद्ध एतराज उठाने की शुरूआत हुई और जयप्रकाश नारायण द्वारा 'सम्पूर्ण क्रांति' का नारा उठाया गया। उसके थोड़े समय बाद इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी तब 1975 में आपात स्थिति घोषित की गई और मूलभूत अधिकारों पर नियंत्रण लगा दिया गया था। उससे संसदीय लोकतंत्र और सार्वजनिक सेवा की संस्थाओं पर से नागरिकों का विश्वास उठ गया था। 1985 में विकास के टैक्नोक्रेट उपाय तलाशे गए और 1991 में नए बाजारोन्मुखी अर्थतंत्र का ढांचा उदारीकरण के संदर्भ में स्वीकार किया गया। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सत्ता का विभाजन करके शासन का विकेन्द्रित स्वरूप उत्पन्न करने के प्रयास किये गए। उसके लिए ग्रामीण अंचलों में पंचायतों को और शहरों इलाकों में पालिकाओं को सत्ता सौंपी गई। उससे भी विकेन्द्रित शैली अधिक लोकप्रिय बनी और राज्य, सभ्य समाज तथा सरकार की भूमिकाएं नये सिरे से तय करने की जरूरत उत्पन्न हुई। वैसे विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया धीमी रही है।

भारत में तो नयी सहस्राब्दि में राजनीति में अपराध, शासकों में भ्रष्टाचार और पुलिस दल में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। हाल के वर्षों में वोट-बैंक की राजनीति भी महत्त्वपूर्ण हो गई है तथा प्रत्येक राजनीतिक दल समाज के एक या दूसरे विभाग को निशाना बना रहे हैं। इससे सामान्य नागरिकों में राजनीतिक संस्थाओं तथा व्यवस्था के प्रति चिढ़ पैदा हो गई है। भारतीय अर्थतंत्र और समाज सहिष्णुता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सामान्य जीवन के उच्च स्तर को प्राप्त करने से संबंधित राजनीतिक संस्थाओं की अक्षमता के कारण निराशा और हताशा की भावना व्यापक बन गई है। भारत में भी आर्थिक विकास हो रहा है परंतु भारत की 27 प्रतिशत आबादी गरीब है। आज दुनिया में सबसे अधिक गरीब

और निरक्षर भारत में हैं। ग्रामीण अंचलों में आदिवासियों, दलितों और स्त्रियों की ज्येष्ठता के अधीन परिवारों और झोंपड़वासियों की दशा बहुत बुरी है।

नागरिकों की भूमिका

व्यापक स्तर पर ऐसा समझा जाता है कि सुशासन गरीबी निवारण हेतु और उनके अधिकार मांगने हेतु पिछड़े रह गए लोगों को सक्षम बनाने की पूर्व शर्त है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से ऐसा कहा जाता है पर उसे व्यवहार में लागू करने की जरूरत है। राज्य, निजी क्षेत्र और नागरिकों को जो भूमिका अदा करनी है उसे नये सिरे से निश्चित करने की जरूरत है ताकि नयी सहस्राब्दि की चुनौतियों का सामना हो सके, ऐसा वैश्विक रूप से समझाया जा रहा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि नई सहस्राब्दि में सरकार का सबसे अधिक स्वीकृत स्वरूप लोकतंत्र है, जिसमें राज्य का केन्द्र अपनी कुछ सत्ताओं और कार्यों का वितरण जिला, तहसील या ग्राम स्तर पर करे ताकि आर्थिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों का विकेन्द्रित रूप से संचालन हो सके। दूसरे, निजी उद्यम और मुक्त बाजार में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तीसरे, गैर-सरकारी संगठन, महिला संगठन, सरकारी मंडल सभ्य समाज में विकासलक्ष्यी कर्ता के रूप में उभर कर आये हैं और वे समाज में लोकतांत्रिक विकास में अधिक से अधिक योगदान दे रहे हैं। नागरिक अब विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभायें ऐसी अपेक्षा की जाती है और इस संदर्भ में आम आदमियों को आशाओं और सपनों, उनकी भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बारे में उनकी आवाज मुखर हो और उसे समझा जाए, यह जरूरी है। इसमें से निम्नलिखित मुद्दे उभरते हैं:

नागरिक के पास क्या हो?

नागरिक के पास इतना तो होना ही चाहिए:

- राज्य की सदस्यता
- सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार
- राज्य के प्रति समर्पण के भाव
- अपने साथी नागरिकों के कल्याण और प्रगति को प्रोत्साहन देने हेतु तैयारी

नागरिक क्या है?

नागरिकता की व्याख्या कानूनी पहचान के संदर्भ में की जा सकती है। इसके उदाहरण जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि हैं। संविधान में उसे जो अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके बारे में नागरिक जागरूक होता है, सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी होता है और देश के राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी के लिए तैयार होता है। उसे मत देने का अधिकार है और उसके द्वारा उसे अपना अभिप्राय व्यक्त करने का अधिकार है अथवा अपने लिए अपना अभिप्राय व्यक्त करे उसे चुनने का अधिकार है।

- वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों का प्रतिकार कैसे किया जाए?
- मनुष्य की जरूरतें पूर्ण करने की मुक्त बाजार की जवाबदारी कितनी है?
- लोकतांत्रिक शासन को नागरिक किस तरह समर्थन दें?
- सभ्य समाज की क्षमता किस तरह बढ़ाई जाए कि वह इस जवाबदारी के साथ समन्वय कर सके?

इस संदर्भ में 'कॉमनवेल्थ फाउंडेशन' द्वारा 1998-99 में एक अध्ययन हाथ में लिया गया था। उसका नाम था: 'नूतन सहस्त्राब्दि में' सभ्य समाज'। इसमें भारत समेत 47 देशों ने भाग लिया था। इस अध्ययन में नागरिकता और शासन के बारे में लगभग 10,000 नागरिकों से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई थी। इस अध्ययन के प्रयोजन इस प्रकार थे:

- सभ्य समाज की भूमिका को मजबूत बनाने हेतु राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंधों को समीक्षा करना।
- राष्ट्रकुल के देशों में लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनके समाधान के लिए नागरिकों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहन देने के मार्ग ढूँढ निकालना।
- सामाजिक संवादिता को सुदृढ़ बनाने के लिए सभ्य समाज के संगठनों की भूमिका पहचानना ताकि नूतन सहस्त्राब्दि में वे सामाजिक विकास में सम्मिलित हों।
- नागरिकों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने वाले तथा अवरोध स्वरूप परिबलों को ढूंढ निकालना और सभ्य समाज तथा राज्य की कार्यवाही को नागरिकों को दृष्टिकोण से देखना।

सुशासन के बारे में नागरिकों का मंतव्य

	अच्छा जीवन	राज्य से अपेक्षायें	नागरिकों की भूमिका
अदृश्य नागरिक	आर्थिक सुरक्षा	मूलभूत सुविधाओं की कार्यक्षम व्यवस्था	अस्तित्व हेतु लड़ाई
	बुनियादी सेवाएं कार्यक्षम रूप से पूरी हों	जीवन-निर्वाह के प्रयासों को समर्थन	कड़ी मेहनत, प्रामाणिक बनना, कर चुकाना, दूसरों के लिए उदाहरण पेश करना
	सामाजिक सुरक्षा	ढांचागत सुविधाएं और बाजार का विकास	पारस्परिक मदद
	प्रभावी, बाजार, ढांचागत सुविधाएं और दोनों के बीच कड़ी रूपी संबंध	नीतियों और कानूनों का पक्षपात-रहित क्रियान्वयन	सह-नागरिकत्व को प्रोत्साहन देना
	सामाजिक न्याय	नागरिकों व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा	जागृत रहना
	शिक्षण	सबको शिक्षण	संगठित होना
	शांति और सुरक्षा	निर्णय प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	
दृश्य नागरिक	आर्थिक सुरक्षा	आर्थिक विकास व सुरक्षित जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन	सूचनाओं का आदान-प्रदान
	नागरिकों के बीच एकता व सहयोग	नीतियों व कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन	जागृति उत्पन्न करना
	मूलभूत सुविधाएं कार्यक्षम रूप से प्रदान की जाएं	नागरिकों की सुरक्षा व उनके अधिकारों की रक्षा	संगठन बनाना
	निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी	नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन	स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में सहभागी होना
	सामाजिक सुरक्षा	स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को प्रभावी बनाना	एकता को प्रोत्साहन
	शिक्षण	सूचना का प्रचार-प्रसार	मजबूत नेतृत्व
	स्त्रियों की सक्षमता		स्थानीय रूप से समस्या का हल
	शांति और मैत्री		सरकार पर दबाव डालना
मध्यस्थ	आर्थिक विकास के अवसर	मूलभूत सेवाएं सक्षमता से प्रदान करना	सूचनाओं का प्रचार-प्रसार
	मूलभूत सेवाएं सक्षमता से प्रदान करना	नागरिकों को सहभागिता हेतु सक्षम बनाना और उनकी मालिकी उत्पन्न करना	स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में सहभागिता को प्रोत्साहन
	प्रतिभावात्मक शासन	सूचना प्राप्ति और सूचना का अधिकार	सरकार से उत्तरदायित्व की मांग
	शिक्षण	प्रभावी स्थानीय संस्थाएं	देखरेख और कड़ी निगरानी
	जागृत और सक्रिय नागरिक	अधिकारों की रक्षा	संवादिता, एकता व संगठन बनाना
	सामाजिक-राजनीतिक भाईचारा	उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार	राज्य की संस्थाओं के साथ संवाद को प्रोत्साहन
	कार्यक्रम ढांचागत सुविधाएं		

इस अध्ययन में इस तरह नूतन सहस्त्राब्दि में अधिक उत्तम भविष्य हेतु सभ्य समाज की भूमिका बढ़ाने के लिए लोगों की दखलंदाजी का स्वरूप कैसा हो, इसका विश्लेषण किया गया है। इसमें महत्व के प्रश्न तीन हैं:

1. अच्छे समाज के बारे में तुम्हारा मंतव्य क्या है। आज किस अंश तक ऐसा समाज अस्तित्व में है?
2. नागरिकों के द्वारा कैसी भूमिकाएं उत्तम रूप से निभाई जा रही हैं और राज्य तथा अन्य क्षेत्रों के द्वारा कौनसी भूमिकाएं अच्छी तरह से अदा की जा रही हैं?
3. भविष्य में ऐसे समाज के विकास हेतु नागरिक अपनी भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से अदा कर सकें इसके लिए उन्हें किस तरह सक्षम बनाया जाए?

व्यक्तिगत सम्पर्क और समूह चर्चाओं के आधार पर सूचनाएं एकत्र की गई हैं। इसके लिए लोगों को चार विभागों में विभक्त किया गया है:

- **अदृश्य नागरिक:** वे लोग जिन्हें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से सुना नहीं जाता और राजनीतिक तथा संस्थागत कारणों से जिन्हें मान्यता नहीं दी जाती।
- **दृश्यमान नागरिक:** वे लोग किसी समूह के नेता हैं और किसी अदृश्य समूह के साथ जुड़े हुए हैं।
- **मध्यस्थ:** वे लोग जो अदृश्य और दृश्यमान समूहों के मंतव्यों के लिए प्रतिक्रियाएं एवं स्पष्टताएं देते हैं।
- **सह-विश्लेषक:** अपनी शोध और सामाजिक कार्यवाही के आधार पर अपने विचारों और समाज का निर्माण करने वाले लोग।

समग्र भारत में अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग भागों से सामग्री एकत्रित की गई और उसका विश्लेषण किया गया। उसके निष्कर्ष अनेक रोचक तथ्य उजागर करते हैं। अलग-अलग नागरिकों ने अलग-अलग ढंग से पेशकश की है। उनकी तुलना इस प्रकार का जा सकती है:

भारत के निष्कर्ष

सभी समूहों में से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उन्हें यहां दिया जा रहा है। उत्तम जिंदगी का क्या मतलब है? राज्य से अपेक्षाओं और नागरिकों के कर्तव्यों को इस तरह तीन भाग में उनकी प्रस्तुति को विभाजित किया गया है:

(1) अच्छा जीवन:

भारत के नागरिक इस मामले में एक समान सपना देख रहे हैं। वे ऐसे समाज का सपना देख रहे हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक और भौतिक सुरक्षा हो, सामाजिक भेदभाव न हो और सभी नागरिकों और उनके मंडलों की राजनीतिक सहभागिता हो। लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा अच्छा समाज अभी अस्तित्व में नहीं है।

(2) राज्य से अपेक्षाएं:

ऐसी अपेक्षा है कि भारत में राज्य मूलभूत सुविधाएं सभी को उपलब्ध कराये, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे नागरिकों के जीवन का, सम्पति का और अधिकारों का संरक्षण करे, पक्षपात विहीन व्यवहार करे और सहभागी तथा लोकतंत्रात्मक ढंग से शासन करे। इस तरह राज्य की भूमिका सेवाएं प्रदान करने की नागरिकों को सक्षम बनाने की तथा नागरिकों हेतु स्वशासन का मार्ग प्रशस्त करने जैसी है। वह नीतियां गढ़े, नागरिकों को अवसर प्रदान करें और उन्हें सक्रिय सहायता दे।

(3) नागरिकों की भूमिका:

नागरिक सूचनाओं के जानकार, संगठित और प्रभावशाली बनना चाहते हैं। वे अपने अधिकारों तथा दायित्वों के बारे में जानना चाहते हैं। जिन्हें भी इस संबंध में अनुभव है वे वह काम करने के लिए आत्मविश्वास से युक्त होते हैं और वे उसमें अधिक सक्रियता के साथ शामिल होना चाहते हैं। लोकहित के लिए काम करने तथा सामूहिक रूप से प्रश्नों को हल करने की इच्छा रखने वाले लोग प्रत्येक समाज में होते हैं।

शासन और नागरिकता

वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए नागरिकों का कर्तव्य सबसे महत्व का विषय है। हालांकि यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुशासन के बिना यह नहीं होगा। यह परस्पर संबंधित है अतः सुशासन क्या है, इसे समझा जाना चाहिए। शासन का सामान्य अर्थ है संचालन व्यवस्था। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया और क्रियान्वयन के साथ संबंधित है। यह निर्णयकर्ता और क्रियान्वयन कर्ता पर ध्यान केन्द्रित करता है। किसके लिए निर्णय लिया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है, सुशासन के लिए मात्र असहाय, गरीब और पिछड़ गए लोग भी सुशासन हेतु महत्व के हैं। गरीबी और निरक्षरता को दूर करने, समानता लाने, मूलभूत मानवधिकारों की

रक्षा करने और सुरक्षा प्रदान करने हेतु उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अतः निर्णय लेने और नीतियां गढ़ने की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता और उन्हें सम्मिलित करना आवश्यक है। अतः गरीबों की जरूरतें क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं और किनके द्वारा तय होते हैं, यह समझना जरूरी है। सुशासन चिरंतन विकास की तरफ ले जाता है।

शासन का चक्र

नागरिकता, सहभागिता और उत्तरदायित्व ये तीनों विचार परस्पर जुड़े हुए हैं और ये 'शासन के चक्र' (गवर्नेन्स साइकल) के भाग हैं। सहभागिता से उत्तरदायित्व जन्म लेता है और नागरिकता की भावना से सहभागिता संभव होती है। सहभागिता का अर्थ है समस्त हितैषियों को शामिल करना। संचार और परामर्श की प्रक्रिया द्वारा यह शामिल हो पाना संभव होता है और यह उनके जीवन पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों पर असर डालने के लिए होता है। यही उत्तरदायित्व सौंपता है और बनाये रखता है। वास्तव में, उत्तरदायित्व एकमात्र ऐसा आधार है जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक कुछ कर सकते हैं और उनसे नीति निर्धारण में खुलापन व पारदर्शिता आती है। ऐसा उत्तरदायित्व सामाजिक पारस्परिकता है और समावेशी नागरिकत्व में परिणत होता है। नागरिकता दूसरों को उत्तरदायी मानने का अधिकार देता है और इस तरह उत्तरदायित्व सहभागिता पैदा करता है। संवाद और विचार विमर्श को बढ़ा कर तथा कार्य पर देखरेख रखकर तथा उसका मूल्यांकन स्वयं तथा सामूहिक रूप से करके सेवा प्रदान करने वालों से अधिक जवाबदारी प्राप्त करने का आग्रह सक्रिय नागरिक रखते हैं। इसमें सामाजिक अधिकारों, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक जवाबदारी का समावेश होता है। इस प्रकार, सक्रिय नागरिकता से उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। उसमें अनिवार्यतः सहभागी पहलू होता है। उसमें फिर दूसरे किसी की सहभागिता उत्पन्न करने की समस्या खड़ी नहीं होती। इस तरह नागरिकता, सहभागिता और उत्तरदायित्व शासन के चक्र का आधार बनते हैं। इन तीनों के समन्वय से ही शासन चलता है और इन तीनों पर ही परस्पर प्रभाव पड़ता है। नागरिकता, सहभागिता और उत्तरदायित्व इस रूप में किसी भी प्रकार के अर्थ पूर्ण शासन के तीन स्तंभ हैं और यह बात केवल सरकारी संस्थाओं पर ही लागू नहीं होती, वरन् सभी प्रकार की सार्वजनिक संस्थाओं पर भी लागू होती है।

नागरिकों के मंतव्य

राष्ट्रकुल देशों के नागरिकों ने सक्रिय नागरिकता के बारे में और अच्छा समाज बनाने में अपनी भूमिका के विषय में कुछ मंतव्य व्यक्त किए हैं। वे यह भी जानते हैं कि उन्हें अपनी भूमिका अदा करने में बाधक अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है

- नागरिक कहते हैं कि उन्हें इस तरह व्यवहार करना चाहिए जिससे समाज में मिसाल बन जाए। वे समाज के लिए नयी पीढ़ी तैयार करने का काम परिवार में करते हैं।
- 'मैं अपने बालकों को बड़े-बुजुर्गों को मान देना सिखाती हूं, और उनको धार्मिक शिक्षा के लिए भी भेजती हूं।' - फीजी की एक महिला।
- सक्रिय नागरिक कर चुकाते हैं, राज्य के कानून का पालन करते हैं। वे अपने बालकों को भावी नागरिक बनना सिखाते हैं।
- 'नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक रूप से समाज के कल्याण में अपना योगदान देना चाहिए ताकि अच्छे समाज की रचना हो... उन्हें कानून का पालन भी करना चाहिए ... और कर भुगतान करके अपना दायित्व अदा करना चाहिए' - केन्या के एक शिक्षक।
- सक्रिय नागरिकता कोई इच्छा या प्रेरणा से ही उत्पन्न नहीं हो जाता। अनेक नागरिकों के पास समाज के लिए कुछ करने का समय नहीं होता, जानकारी व शक्ति भी नहीं होती। इसलिए वे सार्वजनिक सवालों में शामिल नहीं होते। रोज के काम का बोझ इतना होता है और परिवार की जिम्मेदारी ही इतनी बड़ी होती है कि वे समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते।

  'जब हम बालक थे तब हम भोमिया बनते थे, वृद्धाश्रमों में जाते थे और वैसे समुदायिक मामलों में भागीदार बनते थे। उसमें मजा भी आता था। अब ऐसा कुछ नहीं होता। इसे फिर से एक वांछनीय विषय बनाने की जरूरत है।'–आस्ट्रेलिया का एक नागरिक।

स्त्रोतः 'सिटीजन्स एंड गवर्नेंसः सिविल सोसाइटी इन द न्यू मिलेनियम', सितंबर १९९९, 'सिविक्स' के साथ मिलकर 'कॉमनवेल्थ फाउंडेशन' द्वारा तैयार विवरण।

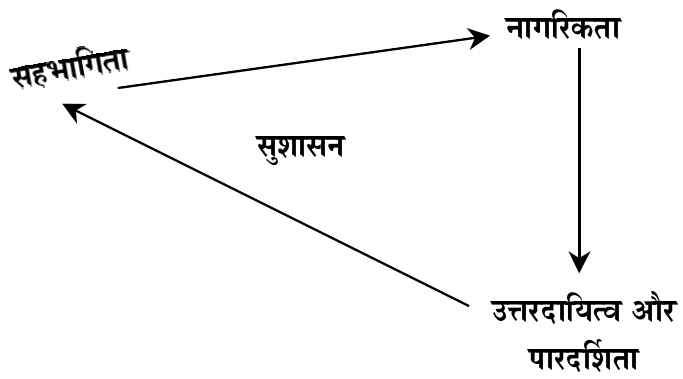

सक्रिय नागरिकता के महत्वपूर्ण लक्षण

'कॉमनवेल्थ फाउंडेशन' द्वारा जो अध्ययन हाथ में लिया गया था, उसमें सक्रिय नागरिकों की भूमिका पर बहुत बल दिया गया है। ऐसा भी देखा गया कि नागरिकों की भूमिका सिर्फ मतदान करने तक सीमित नहीं है और उन्हें कई अधिकार प्राप्त हैं यही पर्याप्त नहीं है परंतु सरकारी संस्थाओं के साथ संवाद करके शासन की प्रक्रिया में भागीदार होने की भी उनकी भूमिका है, और उन्हें रखवाले के रूप में भूमिका अदा करनी है ताकि शासन उत्तरदायी बने। एक तरफ नागरिकत्व अनेक नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार देता है तो दूसरी तरफ उसकी सक्रिय सहभागिता का प्रश्न महत्व का बन जाता है जो शासन के ढांचे को लोगों की जरूरतों के प्रति प्रतिभावात्मक बनाता है। इस संदर्भ में सक्रिय नागरिकत्व की जरूरत उत्पन्न होती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सक्रिय नागरिक कौन है और उनके लक्षण क्या हैं और हम उन्हें किस तरह पहचान सकते हैं। अभी नागरिकों को यों लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि वे आलसी न रहें और सक्रिय बनें तो उनकी आवाज सुनी जाएगी। यह एक जानी-मानी बात है कि जो व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक होता है तो उसका अर्थ यह है कि यह व्यक्ति नागरिकता रखता है, और उस वजह से उसके और जिसमें वह रहता है, उस राज्य के बीच एक अनुबंध हुआ होता है। परंतु इस करार का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों को जिस समाज में वे जीते हैं उसे आकार देने में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। यह भी बताया गया है कि अनेक नागरिक सक्रिय हैं परंतु वे सार्वजनिक हित हेतु स्वयं को इस तरह सक्रिय होने से रोकते हैं। इस प्रकार, उसमें मात्र कानूनी अधिकारों का ही समावेश होता है, ऐसा नहीं, वरन् समाज में विविध रूप से सम्मिलित होने की अपेक्षाएं भी उसमें उत्पन्न होती हैं। इस हेतु उन्हें अपने और दूसरों के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। इसके उपरांत, उन्हें इस संबंध में आत्मविश्वासी बनना चाहिए क्योंकि इन अधिकारों की प्राप्ति के अनेक रास्ते हैं तथा वे संस्थाओं और संगठनों को उत्तरदायी बना सकते हैं।

सक्रिय नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के विषय में जानना चाहिए। उसमें क्या वास्तविकता है, इस विषय में भी सजग रहना चाहिए और वास्तविकता को बदलने के लिए काम करने की तैयारी होनी चाहिए। उनको सार्वजनिक लाभ के संबंध में चिंता करनी चाहिए और अपने समुदाय में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए। पिछड़े रह गए और वंचित लोगों के लिए सक्रिय नागरिकों को पद्धतिसर पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए और वे यह भूमिका अदा करें, इसके लिए अन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के अवसर मिलने चाहिए। सक्रिय नागरिक समाज़ को अपने कौशल व ज्ञान का लाभ सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर देते हैं।

वे निश्चित क्षेत्रों में तय की हुई भूमिका अदा करते हैं। सक्रिय और उत्तरदायी नागरिकत्व का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वयं किसी खास समुदाय के हैं, ऐसी भावना रखें और उसी समुदाय में काम करें। उसमें संस्थागत और कंपनी जीवन का भी समावेश होता है। नागरिक वित्तीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों पर ध्यान रखें और उत्तरदायित्व पूर्वक उनका उपयोग करें, ऐसी अपेक्षा रहती ही है। इसी भाँति व्यावसायिक संगठनों या कंपनियों की भी जवाबदारी है। उन्हें आर्थिक विकास साधना है पर वह विकास चिरंतन होना चाहिए और वह समुदाय के स्वास्थ्य एवं कल्याण के साथ सुसंगत होना चाहिए।

उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से और शांतिपूर्ण रूप से कानून बदलने हेतु राजनीतिक कौशल की भी जरूरत होती है। सक्रिय और उत्तरदायी नागरिकों में वह होनी चाहिए। यह जरूरी है उनकी राजनीतिक समझ और कार्य बढ़े। इसके लिए उन्हें मदद मिलनी चाहिए। सभ्य समाज के काम के लिए स्वैच्छिक कार्य और समुदाय की शिरकत आवश्यक है। उदाहरणार्थ कोई शिक्षक सरकारी शाला में नहीं आता तो लोग कुछ बोलते ही नहीं पर यदि किसी निजी शाला में ऐसा हो तो लोग फौरन शिकायत करने लग जाते हैं और शिक्षक के न आने का कारण जानने की मांग करते हैं। इस प्रकार

परिस्थिति ऐसी है कि बहुत कम लोग सवाल उठाते हैं, पर लोकतंत्र में तो सबको प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए। नेताओं के होने पर ही ऐसा सक्रिय नागरिकत्व खड़ा होता है। ऐसे नागरिक कार्यकर्ताओं का नेतृत्व नागरिकों और राज्य के बीच सेतु रूप बनता है। जब सभ्य समाज को उठाने और शासन को सुधारने के लिए काम करे तब ऐसा कहा जाता है कि नागरिकों ने नेतृत्व किया। ऐसे नेताओं को मान्यता मिले, वे दृश्यमान हों और उन्हें प्रोत्साहन मिले, यह जरूरी है। यदि उत्तम नागरिक के गुणों से युक्त नेता हो तो वह ज्यादा प्रभावी नेता बनता है। अच्छे नागरिक की तलाश में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि अच्छा नागरिकत्व क्या है। हम निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित की गई भूमिका को योग्य तरीके से अदा करेंगें तभी अच्छा नागरिकत्व खड़ा हो सकेगा। नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी समूह पर शासन करने, उसे दिशा देने और उसकी स्वीकृति प्राप्त करने का काम करता है। नेता के पास दिशा, दृष्टि और हेतु है। वह शक्ति और प्रभाव रखता है। वांछित सामाजिक परिवर्तन संबंधी हेतु का उसे पता होता है। इस तरह, उसमें इन तीनों बातों का सम्मिश्रण होता है। उसके पास स्पष्ट दिशा और दृष्टि हो तभी वह प्रभावी नेता बन सकता है। साथ ही नेता प्रेरक के बतौर काम करता है, लेकिन सभी प्रेरक नेता तो नहीं होते।

सक्रिय नागरिकता के मार्ग में अवरोध

नागरिक स्वतंत्रता सेनानी बनते हैं, सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकारों के लिए लड़ते हैं। विविध प्रवृत्तियों के लिए विविध प्रकार के मंडल बनाते हैं। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सूजन, शिक्षण में वृद्धि, देशी संस्कृति का संरक्षण शांति की स्थापना आदि हेतुओं के लिए ऐसे मंडल गठित किये जाते हैं। परंतु अस्तित्व के लिए लड़ाई, लाचारी की भावना और भूतकाल के निराशाजनक अनुभव भावी कार्य की संभावनाओं को घटा देते हैं। राज्य और अन्य कई व्यापक स्तर की संस्थाएं यहां नागरिकों की कर्मशीलता को बढ़ा सकती है। परंतु हाल की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि बहुत से नागरिक लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं से अलग-थलग पड़ रहे हैं और सामान्य जनों की आवाज तो कभी भी ध्यान में नहीं रखी जाती। वैश्वीकरण, स्पर्धा और व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति से स्वयं ज्यादा से ज्यादा लाचार बन रहे हों, ऐसा उन्हें लगता है। अतएव समाज के लोकतंत्रीकरण पर विपरीत असर हुआ है।

यहां मुख्य प्रयोजन सामाजिक परिवर्तन लाने और और सामाजिक न्याय व समता उत्पन्न करना है। इसके लिए कई प्रक्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। कई बार ऊपर से नीचे की तो कई बार नीचे से ऊपर की प्रक्रिया होती है। जब नीति में परिवर्तन आता है तब सामाजिक परिवर्तन लाने का उसका हेतु होता है। जैसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रथा शुरू हुई थी। कानून ने यह सुधार तीन स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया। जब ऊपर से परिवर्तन आता है तब भी सामाजिक परिवर्तन के लिए दबाव पड़ता है। ऐसे ही एक परिवर्तन ने सामंतशाही शोषण व्यवस्था को समाप्त करने में मदद की। लोग संगठित हुए और उन्हें लाभ मिला। उदाहरणार्थ, चिपको आंदोलन। वन-विनाश के विरुद्ध स्त्रियों ने यह आंदोलन चलाया। अधिकारों के लिए लड़ने वाला समुदाय विकास में भागीदार हो और परामर्श में भागीदार हो, यह बहुत जरूरी है। समुदाय को लाभार्थी मानने से ही बहुधा बड़ा अवरोध पैदा हो जाता है। अतः यह समझा गया कि संस्थाओं के साथ संबंध बनाना चाहिए और अधिकारों संबंधी लड़ाई की जानी चाहिए। जैसे मजदूर मंडलों का नेतृत्व शिक्षित और आर्थिक रूप से समृद्ध वर्गों में से आया। उन्होंने मंडल गठित किए और प्रवृत्तियां शुरू की। वे यह बताते हैं कि लोकतंत्र में संस्थाएं बहुत जरूरी हैं। लोकतंत्र तो तभी काम करता है जब लोग संगठित होकर शासन के समक्ष सवाल खड़े करते हैं। संस्थाएं परिस्थिति का प्रत्युत्तर देती हैं और नागरिक संस्थाओं से जुड़कर सक्रिय बनते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो निर्णय प्रक्रिया में भागीदार होने का सभी को समान अधिकार है। परंतु सक्रिय नागरिकता के सामने कई अवरोध होते है। उदाहरणार्थ, प्रतिनिधि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मताधिकार होता है परंतु सबको सहभागिता का अधिकार भोगना हो तो कई औपचारिक और अनौपचारिक कदम उठाने पड़ते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतें उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। स्त्रियां और पिछड़ गए लोग शासन में सहभागी हो ही नहीं सकते। जैसे कि स्त्रियों को बालकों की देखभाल, गृह कार्य, रसोई के उपरांत आमदनी कमाने का काम करना हो तो उन पर बहुत बोझ पड़ता है। अतः वे सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका अदा नहीं कर सकतीं। सक्रिय नागरिकता से वे दूर रहती हैं। इस प्रकार, नागरिक नेताओं को सक्रिय बनाने के लिए और नागरिकों को सक्रिय बनाने के लिए बहुत लंबी मंजिल तय करनी पड़ती है।

नागरिकों के लिए सहभागिता का मार्ग प्रशस्त हो, इसकी भूमिका नागरिक नेताओं को अदा करनी होती है। वे मध्यस्थ हैं, वे सक्रिय नागरिक भी हैं और नेता भी हैं। इस प्रकार की नेतागिरी विकसित होना जरूरी है जो सरकारी संस्थाओं के साथ वार्तालाप कर सके। इस संदर्भ में नागरिक नेता कौन हैं, उनकी क्या भूमिकाएं है और सामाजिक विकास के लिए नागरिकों की भूमिका किस तरह निर्मित कि जा सकती है, यह हमें पता लगाना है।

नागरिक नेता

नागरिक नेतृत्व अर्थात् ऐसे व्यक्तियों का समूह में परिवर्तन जो प्रश्न पूछें। वे 'जो हैं' उसे समझने को तैयार रहते हैं और 'क्या हो सकता है' इसके लिए सामूहिक चेतना उत्पन्न करने के लिए मदद देने तैयार रहते हैं। नागरिक समूह में एकत्र हों तो नया ज्ञान उत्पन्न होता है, वह संभावनाओं की दुनिया को व्यापक बनाता है और वह अपने समुदाय के नेताओं को सामूहिक रूप से वांछनीय भविष्य की दृष्टि विकसित करने में मदद देते हैं। वे श्रद्धाओं को व्यवहार में उतारते हैं तथा कल्पनाओं को साकार करने का मार्ग तलाशते हैं। नागरिक नेता अच्छे नागरिक बन कर अपना ही उदाहरण पेश करते हैं। वे कठोर परिश्रम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और प्रामाणिकता से काम करते हैं।

वे परिवार और समुदाय में उदाहरण स्थापित करते हैं। अनेक नागरिक इसे जरूरी मानते हैं और अपने जीवन का वांछनीय भाग समझते हैं। सार्वजनिक हित के लिए काम करने की इच्छा, सामूहिक रूप से समस्याओं का हल करने और समाज की परिस्थिति को सुधारने की इच्छा व्यक्ति को नेता बनाती है। नागरिक कार्यशील नागरिकों और राज्य के बीच सेतु बनते हैं। जब नागरिक समाज का निर्माण करते हैं और शासन को सुधारते हैं तब वे नेता बनते हैं। ऐसे नागरिक नेताओं को मान्यता देना, उनको दृश्यमान बनाना और उन्हें प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण बात है। जो नागरिक अन्य नागरिकों को काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं वे नागरिक नेता बनते हैं। वे समाज में नीति विषयक बातों के लिए नागरिकों की कर्मशीलता को प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे प्रत्येक प्रयास में रचनात्मक प्रश्न होते हैं, ऊँची अपेक्षाएं होती हैं और लोग जो करना चाहते हैं वह सामूहिक रूप से कर सकेंगे, ऐसा विश्वास होता है।

नागरिक नेता के पास जो दिशा, शक्ति और प्रभाव है, वे स्वयं मिले होते हैं अथवा अर्जित किये हुए होते हैं। स्थानीय समुदाय के निवासी जब प्रतिबद्धता और दृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं तो समुदाय की सम्पत्ति के विषय में समझ विकसित करने हेतु नागरिकों

नागरिक नेता कौन हैं?

स्थानीय समुदाय के निवासी जब प्रतिबद्धता और दृष्टि के साथ काम करते हैं, समाज की सम्पत्ति के बारे में समझ विकसित करने हेतु नागरिकों को प्रोत्साहन देते हैं, अपने इलाके की परिस्थिति सुधारने के उपाय सोचते हैं और नूतन विषय खोज निकालते हैं, तब उनमें से ही कोई नागरिक नेता खड़ा होता है। वह उपस्थित होने वाली घटनाओं और समस्याओं के प्रति सजग और संवेदनशील होता है। समुदाय में उसका मान है। वह स्वीकृत है और मान्यता प्राप्त है। नेतृत्व के गुणों से युक्त है और स्थानीय स्तर तथा सरकार के बीच माध्यम के रूप में काम करता है। इसका अर्थ यह है कि वह सरकार की नीतियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विकास की समस्याओं को जोड़ता है।

उसमें समाज के अवशिष्ट वर्गों का समावेश करने की क्षमता होती है। वह पिछड़े हुए, आवाजहीन, असहाय और वंचित वर्गों का समावेश करता है, जिनमें दलितों, विकलांगों, स्त्रियों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों आदि का समावेश होता हैं। नागरिक नेता सवेतन कर्मचारी नहीं है। वे समुदाय के उत्थान हेतु स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं। सवेतन कर्मचारी होने पर तो उनका उत्तरदायित्व नहीं रहता। नागरिक नेताओं के मार्फत ही सूचनाओं का प्रचार-प्रसार होता है। वे घर-घर सम्पर्क करते हैं। भित्तिचित्रों, नुक्कड़ नाटकों आदि का सहारा लेते हैं। पल्स-पोलियो टीके के कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम, जल-संग्रह, पंचायतों, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों (जैसे मध्यान्ह भोजन, काम के बदले अनाज), बालिकाओं को सक्षम बनाने आदि विषयों की जानकारी प्रसारित करते हैं। नागरिक नेता सांस्कृतिक व परंपरागत माध्यमों के मार्फत समुदाय के साथ संबंध स्थापित करते हैं और समुदाय में सहभागिता उत्पन्न करते हैं। उन्हें नए विचारों और सुझावों के प्रति खुले मन का होना चाहिए उनमें धीरज होना चाहिए, वे निष्पक्ष होने चाहिए, दमन करने वाले नहीं वरन् साथ लेकर चलने वाले होने चाहिए, सबके पक्ष में विजय दिलाने वाले होने चाहिए, अन्य विकल्प दर्शाने वाले होने चाहिए और प्रश्नों के हल से पूर्व खर्च-लाभ के संबंध में सोचने वाले होने चाहिए।

को प्रोत्साहन देते हैं। अपने क्षेत्र की परिस्थिति को सुधारने के उपाय सोचते हैं और नयी बातें ढूंढ निकालते हैं तब उनमें से ही कोई नागरिक नेता खड़ा होता है। नागरिक नेता कोई भी हो सकता है: शिक्षक, किसान, सुथार, गृहणियां, विद्यार्थी आदि। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली, सफाई, अगरबत्ती, मोमबत्ती, कागज जैसी वस्तुएँ बनाने और आर्थिक सुरक्षा देने वाले कुटीर-उद्योग, स्वयं-सहायता-समूहों को मजबूत करने, विकासपरक समस्याओं के बारे में युवकों को जागरूक करने जैसे मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं।

स्थानीय नागरिक नेता समुदाय के महत्वपूर्ण मूल्यों और सम्पत्ति को दृश्यमान बनाते हैं तथा नूतन काम करने के मौके तलाशते हैं। उनमें से स्थानीय स्तर पर नेतृत्व और सहभागिता उत्पन्न होती है। यह नूतन कार्य स्काउट समूह, संभ्रांत नागरिक मंडल, नारी समूह, महिला मंडल, युवक मंडल आदि मौजूदा समूहों को मजबूत बनाता है या फिर नये समूहों को जन्म देता है। उदाहरणार्थ, किशोरों और किशोरियों का समूह अपने क्षेत्र के लोगों की एक सूची बना सकता है और उन्हें स्वैच्छिक प्रवृत्तियों में आगे जोड़ सकता है। ताकि समुदाय के सदस्य परियोजना के आयोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की जिम्मेदारी संभाल लें। नागरिक नेताओं के कार्य का मूल्य बहुत है, मात्र एक ही समुदाय के लिए ही नहीं, वरन् अन्य बड़े नेटवर्क के लिए भी। कारण यह है कि वे कठिनतम विषयों के बैंक का विस्तार करते जाते हैं और समुदाय का सृजनात्मक भविष्य गढ़ने में अपना योगदान देते हैं।

नागरिक नेताओं की भूमिका को दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: (1) समाज का निर्माण (2) शासन की संस्थाओं में शिरकत। इन दो भूमिकाओं को फिर से उप भूमिकाओं में बांटा जा सकता है। ये भूमिकाएं वे निभा सकें इसके लिए उनकी क्षमता बढ़ानी जरूरी है ताकि गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओं को नागरिक नेताओं की क्षमता वृद्धि में शामिल किया जा सके।

नागरिक नेताओं की भूमिका

(1) समाज का निर्माण

नेता का सबसे पहला महत्वपूर्ण काम निम्न मार्गों से समाज का निर्माण करने का है:

(अ) सामाजिक जागृति: इसमें गरीबों और तिरस्कृत लोगों की सजगता का और उनको शासन की राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने का समावेश होता है। उन्हें जागृत करने का हेतु रचनात्मक विकासलक्ष्यी प्रवृत्ति में शामिल करना है, तो बड़े स्तर पर विरोध दर्शाने की प्रवृत्ति में ले जाना भी है। **(आ) सामाजिक बहिष्कार का निवारण:** समाज के ऐसे वंचित और असहाय वर्गों का मुख्य प्रवाह में शामिल होना है जो अब तक अदृश्य और आवाजहीन हैं। **(इ) मतभेदों का संचालन:** समाज के अंदर जो मतभेद उभरते हैं उनका निवारण परामर्श द्वारा हो तथा दोनों पक्षों को स्वीकृत निर्णयों के द्वारा हो।

(2) शासन की संस्थाओं में शिरकत:

नेता का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है विविध संस्थाओं के साथ शिरकत। यद्यपि स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और समाज के विकास हेतु कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ उन्हें निम्न प्रकार से सम्पर्क बनाना होता है:

(अ) आवाज: विविध मंचों समुदाय पर असर डालने वाले उपस्थित प्रश्नों के संबंध में लोगों की आवाज बुलंद करना। **(आ) चर्चा:** समान स्तर पर ही चर्चा हो सकती है। समुदाय की और से चर्चा-परामर्श करके समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। **(इ) विश्वसनीयता:** नेता जो कहता है वह करता है।', ऐसा लोगों को लगना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रसंगों पर अपनी उपस्थिति से उसे विश्वसनीयता उत्पन्न करनी पड़ती है।

उपर्युक्त दोनों कार्य चक्रीय प्रक्रिया वाले हैं और वे नेता के ज्ञान, रुझान और कौशल पर आधारित हैं। अतः ये भूमिकाएं अदा करने के लिए हमें विविध नेताओं की जरूरत रहती है अथवा एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत रहती है जो अनेक भूमिकाएं निभा सके। यथा-स्वयं-सहायता-समूह में एक व्यक्ति खजांची और मंत्री के रूप में भी काम करे। यदि उसके पास कार्यक्षमता और कौशल हो तो वह दोनों काम कर सकता है। इसके अलावा इस नेता के पास स्पष्ट दिशा होनी चाहिए, स्पष्ट भावी दृष्टि होनी चाहिए। उदाहरणार्थ स्वयं-सहायता-समूहों की बैठकें आयोजित करने का मूलभूत उद्देश्य क्या है? क्या वह आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिए है या फिर वह समाज के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करने का मंच भी बनता है? फिर, इन बैठकों का आयोजन इस तरह होना चाहिए ताकि विधवाओं, दलितों, आदिवासियों, वृद्धों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों जैसे वंचित वर्ग को भी अपनी आवाज प्रस्तुत करने का

नागरिक नेता की भूमिका

अच्छे समाज हेतु सामान्य नागरिकों का योगदान प्राप्त करने हेतु और इसके लिए उनको सक्षम बनाने हेतु नागरिक नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है।

न्यूजीलैंड का एक युवा नागरिक कहता है कि, 'हमारे नेता मजबूत हैं, वे प्रामाणिक हैं और निष्ठावान हैं।'

इस अध्ययन में नागरिकों को सतत सक्षम और प्रतिबद्ध नागरिक कर्मशीलों द्वारा उपलब्ध कराने वाले प्रेरणा और नेतृत्व का उल्लेख किया गया है। उन्हें सामुदायिक विषयों में सामान्य जनों का योगदान और सहभागिता प्राप्त करना है। उन्हें सूचना का आदान-प्रदान करना है, जागृति उत्पन्न करनी है और अच्छे समाज के निर्माण हेतु अन्य नागरिकों को शामिल करना है।

स्त्रोतः 'सिविक्स' के साथ का 'कॉमनवेल्थ' फाउंडेशन का विवरण, सितंबर, 1999

अवसर मिले। समाज निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ यह प्रक्रिया चले तो सामाजिक नीतियों के गठन में भी नागरिकों की सक्रिय सहभागिता उत्पन्न हो सकती है।

सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रभाव डालना, तार्किक मार्गदर्शन, स्थानीय स्तर पर लोक संगठन बनाना, सामाजिक परिवर्तन हेतु उद्दीपक के बतौर काम करना। राज्य-बाजार और सभ्य समाज में संगठनों के साथ चर्चा करना, सहयोग लेना और सम्पर्क करना, नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन देना। सहभागिता हेतु वातावरण बनाना, संसाधन पैदा करना, एकता बनाये रखना, संघर्षों का निवारण करना, हिमायत करना आदि काम भी नागरिक नेता को करना होता है। वह नागरिकों के लिए मित्र, मीमांसक और मार्गदर्शक सभी कुछ होता है।

सक्रिय नागरिकता का कार्यगत पहलू

यह समझना जरूरी है कि सक्रिय नागरिकता के विविध पहलू किस तरह कार्यगत हों। इस बारे में दो किस्से उल्लेखनीय हैं जो नागरिकों की सक्रियता को उजागर करते हैं।

सामाजिक विकास पर देखरेख और नागरिकत्व

भारत में नागरिकता का व्यवहार और अधिकार दोनों मान्य हैं। उनमें सामाजिक विकास की देखरेख एक शक्तिशाली साधन है। उसमें सभी हितैषियों की शिरकत बढ़ती है और मजबूत तथा अर्थपूर्ण नागरिक कार्य हेतु प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक विकास की देखरेख में (एस.डी.एम) लाभार्थी नागरिकों या सामाजिक दृष्टि से वंचित समूहों द्वारा अवलोकन व कार्य का समावेश होता है। उसका यह क्षेत्र व्यापक है और सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों की निश्चित दस्तंदाजी से परे है। वह सबका का समावेश करता है, पारदर्शिता उत्पन्न करता है और प्रतिभावात्मकता का सृजन करता है।

झारखंड राज्य में संथाल परगने की जामरता तहसील में सामजिक-विकास पर देखरेख का काम हुआ है। वह एक आदर्श प्रस्तुत करता है। सरकारी संस्था को नागरिक नेताओं ने किस तरह उपेक्षित-तिरस्कृत लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाया, उसका यह एक उदाहरण देता है। झारखंड की जामरता तहसील में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। लाभार्थी समूहों ने सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं का पता लगाया। उसमें ऐसा भी लगा कि शैक्षणिक संस्थाओं और विशेष रूप से अनौपचारिक शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं पर देखरेख रखनी जरूरी है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तीसरी कक्षा तक काम पर जाने वाले बालकों को शिक्षा देने का काम करता था और उनको दुमका की प्राथमिक शाला में भेजता था। साक्षरता का स्तर नीचा है और काम पर जाने वाले बालकों के माता-पिता को इस बारे में कुछ पता नहीं था, अतः इस केन्द्र पर देखरेख रखना निश्चित किया गया। बालक बीड़ी बनाने के कारखाने में, रेस्टोरेंट्स में, ईंटों के भट्टे में तथा अन्य व्यापार धंधों में काम पर जाते थे। परिणामतः इस परिस्थिति को बदलने हेतु सामाजिक विकास संबंधी देखरेख (एस.डी.एम.) को भागीदारी बढ़ाने के एक साधन के रूप में पसंद किया गया।

परियोजना संबंधी समझ पैदा करने के बाद संस्थाओं के नक्शे तैयार किये गए और देखरेख के लिए एक क्षेत्र चुना गया। इसके लिए जामरता और जारमुंडी के बारे में सोचा गया। परियोजना के सभी पहलुओं पर विचार किया गया और उनके काम के बारे में भी

चिंतन किया गया। उसके लिए साक्षात्कार लिए गए और समूह चर्चाएं भी की गईं तथा सूचना का आधार भी तैयार किया गया। उसके लिए सभी हितैषियों की मदद ली गई। सभी शुभचिंतकों की समस्याएं जानने का प्रयास किया गया।

यह जानने को मिला कि 1995 में 'चाइल्ड लेबर सोसायटी' की स्थापना होने के बाद तीन तहसीलों में अनौपचारिक शिक्षण हेतु 40 विद्यालय चलाने की परियोजना तैयार की गई थी। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा 'चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन सोसायटी' द्वारा इस परियोजना हेतु पैसा दिया गया था। जिले, तहसील व ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया गया। जिले के कमिश्नर उसके पदेन अध्यक्ष बने। तहसील स्तर पर उसमें तीन सर्कल अधिकारी हैं। मुख्य अधिकारी को क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपा गया है। पंचायत स्तर पर गाँव के नेता साक्षरता अभियान में सक्रियता से शामिल होते हैं और वे इस समिति के सदस्य हैं। स्वैच्छिक विकासलक्ष्यी संगठनों से परियोजना में सहयोग मांगा गया है। उसकी मुख्य प्रवृत्ति इस प्रकार है:

- 5 से 14 वर्ष तक के बालकों को आनंददायी विधि से शिक्षण देना और 100 रु. प्रति माह का स्टाइपेंड देना।
- प्रति बालक रोजाना 2.50 रु. खर्च करके मध्यान्ह भोजन योजना चलाना।
- एक विद्यालय में दो शिक्षक और एक अनुसेविका हो।
- जिला समिति अभ्यासक्रम तय करे। वर्ष में एक बार दिसंबर में परीक्षा ली जाए।
- समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच की जाए।

इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विकास देखरेख हाथ में ली गई। उसमें नागरिकों और नेताओं को इन पक्षों को मजबूत करना महत्वपूर्ण लगा:

- परियोजना के बारे में नागरिकों का दृष्टिकोण
- निर्देश विकसित करने में उन्हें मदद देना।
- निर्देश के संदर्भ में सूचनाएं इकट्ठा करना।
- सामूहिक कार्य का संयुक्त विश्लेशण।

सामाजिक विकास देखरेख की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण उपाय हाथ में लिये गए वे इस प्रकार हैं:

(1) सूचना का प्रचार-प्रसार, दृष्टिकोण निर्माण और चर्चा-परिचर्चा

सर्व प्रथम तो एक कार्यशाला में अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में जानकारी दी गई। उसमें सभी शुभेच्छु उपस्थित थे। नागरिकों की सहभागिता पर बल दिया गया। सरकार का मत ऐसा था कि नागरिकों को पूरी तरह सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परियोजना के उचित क्रियान्वयन के लिए यथासंभव सभी विधियों से नागरिकों को पूर्णतया भाग लेना चाहिए। इसमें नागरिकों की सहभागिता के बारे में मतभेद विद्यमान थे। बाद में माता-पिता यह समझे कि शाला के संचालन में वे कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। तदुपरांत अनेक बैठकें माता-पिता के साथ आयोजित की गई और प्राप्त निष्कर्षों के बारे में विचार-विमर्श किया गया। नागरिकों की सहभागिता के लिए सामाजिक विकास देखरेख (एस.डी.एम.) एक योग्य विकल्प के रूप में उभरी है। यहां यह भी बताया गया कि कार्य पूर्ण करने के लिए क्षमता वृद्धि एक प्रभावी साधन है। परंतु यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। माता-पिता गरीब थे और निरक्षर थे और अधिकारियों के साथ बातचीत करने का उन्हें मौका मिला ही नहीं था। समुदाय तथा शुभचिंतकों का समर्थन प्राप्त करने हेतु इस संदर्भ में स्थानीय व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई।

(2) नागरिकों के कार्य

इस प्रयास के परिणाम स्वरूप नागरिक काम करने लगे। वे शुभचिंतकों की बैठकों में आते हैं, शालाओं की देखरेख संबंधी व्यूहरचना बनाते हैं और निर्देश विकसित करते हैं, समितियों का गठन करते हैं और प्रत्येक सदस्य की भूमिका व जिम्मेदारी तय करते हैं।

(3) देखरेख के लिए क्षमता बढ़ाना

नया सत्र शुरू हो रहा था तब परियोजना के विविध पहलुओं और संबंधित पक्षों के बारे में चर्चा हुई। उसमें प्रश्नों की प्राथमिकता तय की गई और निर्देश विकसित किए गए। देखरेख की प्रक्रिया के बारे में उससे नागरिक निर्णय लेते गए। अंततः देखरेख हेतु ये निर्देशक तय रहे:

- शाला के काम के घंटों के दौरान दो शिक्षकों की उपस्थिति।
- महिने में कभी भी चार-पाँच दिन देखरेख रखना।
- मध्यान्ह भोजन योजना पर देखरेख रखना।

- स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिने में एक बार बालकों की होने वाली स्वास्थ जाँच पर नजर रखना। यह जाँच प्रतिमाह कामकाज के अंतिम दिन की जाती है।

सूचनाएं दर्ज करने के लिए निश्चित तंत्र तैयार करना तय किया गया। समिति ने स्वयमेव अपनी सूचनाएं दर्ज कराना तय किया गया। उसमें चित्रों द्वारा सरल ढंग से तय किये उपयुक्त निर्देश दर्शाए गये। सभी सदस्य बारी-बारी देखरेख रखें और काम करें अथवा एक समय पूरा समूह काम करे यह तय रहा। निर्देश विकसित किए गए जिससे माता-पिताओं में स्पष्टता हुई। परंतु यह जरूरी है कि शिक्षक, डॉक्टर और तहसील स्तर के सरकारी अधिकारी प्रतिभावात्मक बनें, वे कार्यक्षम बनें और उत्तरदायी बनें। अन्य शुभचिंतकों से समर्थन मिलता रहे, इसके लिए इस देखरेख में ध्यान रखा गया। इससे समुदाय में विश्वास पैदा हुआ।

(4) शिक्षकों और अधिकारियों के साथ बातचीत

देखरेख में शिक्षकों और अधिकारियों को शामिल करने की प्रक्रिया से कार्यक्षमता पैदा हुई। सरकारी अधिकारियों के साथ किस तरह चर्चा करनी, इसका कौशल उत्पन्न हुआ। वे स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सर्कल अधिकारियों से मिले और की कार्यवाही के विषय में उनसे बातचीत की। अपने सुझाव दिये।

नागरिक नेताओं की शिरकत से अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। तीन शालाओं के शिक्षकों ने पूर्ण सहयोग दिया। उनकी समझ में आया कि अन्य हितैषियों के साथ बातचीत में ही शाला का भविष्य निहित है। माता-पिता को एक महत्वपूर्ण परिबल के रूप में उसमें स्वीकृति मिली। जो एक शाला बंद थी उसके शिक्षकों और अनुसेविका को नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। माँ-बाप भी शाला के संचालन को लेकर सख्त थे। परियोजना के अधिकारियों को भी सख्त कदम उठाने की अनिवार्यता व्यक्त की गई। अंत में रचनात्मक संवाद हुआ और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्कल अधिकारी उसमें अध्यक्ष थे। उनके समक्ष निष्कर्ष, चिंताएं और सुझाव प्रस्तुत किये गए। बाल मजदूरी खत्म करने जैसे समग्र हेतु के लिए मांगें प्रस्तुत की गई। उनमें से कई व्यवस्थाएं तो केन्द्रों के साथ संबंधित थी। इसके प्रत्युत्तर में सर्कल अधिकारी ने जिन सरकारी कार्यक्रमों के अधीन अवसर उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी दी। माता-पिता और शिक्षकों ने जो चिंताएं व्यक्त की थी उनके बारे में भी उन्होंने कई कदम उठाये।

सरकारी विभाग जिस तरह काम करते हैं उसकी नागरिकों को जानकारी मिली और सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा करने का कौशल विकसित हुआ, ऐसा उन्हें लगा। नागरिकों के द्वारा सामाजिक विकास देखरेख का काम हो, यह देखना बहुत कठिन कार्य है। समस्याओं की पहचान के लिए और सूचना संकलन के लिए क्षमतावर्धन जरूरी है। विश्लेषण बराबर करते रहना पड़ता है। नागरिकों के प्रयास उनकी इच्छानुसार होने चाहिए। समूह का बराबर समर्थन मिले और स्थानीय नेता की शिरकत हो यह जरूरी है। देखरेख से नागरिकों और सरकार के बीच संवाद पैदा होना चाहिए। परिवर्तन का यह महत्वपूर्ण तत्व है। बैठकें आयोजित करके निष्कर्षों का आदान-प्रदान किया जाए, यह भी महत्वपूर्ण है। हितैषियों के बीच उससे संवाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार, नागरिक नेता सामाजिक विकास देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वे ही नागरिकों को सक्रिय और उत्तरदायी बनाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं।

महाराष्ट्र का अनुभव

महाराष्ट्र के खेड़ में एक नया प्रयोग हुआ है। वहां संस्थाओं और व्यक्तियों के बारे में सामाजिक नक्शे बनाने का काम महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों द्वारा हाथ में लिया गया है। उनके जीवन पर प्रभाव डालने वाली और महत्वपूर्ण संस्थाओं के विषय में यह काम किया गया। इससे भी समाज में नागरिक नेताओं की भूमिका क्या है, यह स्पष्ट होता है। महिला नागरिक नेताओं की शिरकत उसमें महत्वपूर्ण रही। गाँव की संस्थाओं के नक्शे बनाने का काम हाथ में लिया गया। वेन डायग्राम भी तैयार किया गया। वह सहभागिता से हुआ। ग्राम पंचायत, शाला, एम.आइ.डी.सी; बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, बैंक, पोस्ट आफिस, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, उचित मूल्य की दुकान, महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड, और अन्य स्वयं-सहायता समूहों जैसी संस्थाएं तय की गई। बाद में सरपंच ग्राम सेवक, पुलिस पटेल, निजी डॉक्टरों, शाला शिक्षकों, पटवारी, कोतवाल, और दाई आदि व्यक्ति तय किये गए। समुदाय के विकास में उनकी भूमिका के आधार पर उनकी श्रेणी तय की गई। संस्थावार कर्मचारी तय किये गए

और सूचनाओं के प्रायोगिक परीक्षण को हाथ में लिया गया। प्रत्येक गाँव के नागरिक नेताओं के साथ मिल कर चर्चा की और जरूरी प्रपत्र भरे। कई सदस्यों ने ग्राम पंचायत के तमाम सदस्यों के नाम लिखे तो कइयों को उप सरपंच के नाम का भी पता नहीं था। कइयों ने तो पूर्ववर्ती सदस्यों के नाम भी बता दिये। उनसे नागरिक नेताओं को ग्राम के बारे में जानकारी मिली, महिलाओं की समझ बढ़ी और वे जान सके कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध हैं।

समस्याओं का भी उन्हें पता लगा। आठ गाँवों की सूचनाएं इस तरह नागरिक नेताओं द्वारा एकत्र की गई। ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, तहसीलदार कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और बैंकों आदि से उस समय सम्पर्क साधा गया। समूह के सदस्यों के साथ उन्होंने उस सूचना का आदान-प्रदान किया। महिला सदस्यों को सूचना एकत्र करने में शामिल करने की प्रक्रिया धीमी है परंतु वे सक्रियता से शामिल हुईं। इससे उनमें सूचना के बारे में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। सूचना का एकत्रीकरण और विश्लेषण महत्व रखते हैं। इससे सेवाओं के बारे में नेताओं की समझ बढ़ी है। निर्वाचित प्रतिनिधि, ग्राम सेवक, दाई, पटवारी आदि की भूमिका का उन्हें पता लगा। इसके लिए अनेक बैठकें, संवाद और प्रशिक्षण आयोजित किये गए। इस तरह, यह एक ही समय में सम्पन्न हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। महिलाएं संस्थाओं के बारे में ज्ञान ग्रहण करती गईं, सूचनाएं एकत्र करती गई और सूचनाएं प्राप्त करती गईं। नागरिक नेताओं की जिम्मेदारियां, भूमिकाएं और प्रवृत्तियां उन्हें स्पष्ट हुईं। विकास के भावी कार्यों के विषय में कदम उठाने हेतु जरूरी सूचनाओं का आधार उत्पन्न हुआ। गरीबों की समस्याओं के समाधान का रास्ता मिला। सहभागी देखरेख और मूल्यांकन से सेवाओं के सुधार का अवसर बढ़ा है। इस तरह की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

उपसंहार

यह स्पष्ट है कि 21वीं सदी में अधिकांश देशों में शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र स्वीकृत हुआ है। यद्यपि इस व्यवस्था में भी अनेक कमियां हैं। यह नागरिकों को समानता उत्पन्न करने तथा अपने अधिकार प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। शासन, नागरिकों के सहभागिता और भूमिका संबंधी व्यापक संशोधन के बाद ऐसा लगा कि सुशासन हेतु नागरिकों को सक्रिय होना पड़ेगा और राज्य को नागरिकों की जरूरतों हेतु उत्तरदायी बनना पड़ेगा। नागरिकों की भूमिका व्यापक है पर वे सारी भूमिकाएं वहन नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं। वहीं गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि वे नागरिकों को क्षमता बढ़ायें।

पृष्ठ 30 का शेष भाग

महत्त्वपूर्ण बात है कि अब परियोजना का विरोध करने वाले 38 व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं शेष थी, तब सुनवाई के लिए कुल एक घंटे का समय ही आवंटित किया गया था। 'सालिम अली प्राकृतिक संरक्षण केन्द्र' के निर्देशक डॉ.वी.एस विजयन और 'केरल वन अनुसंधान संस्थान' के डॉ. शंकर जैसे विख्यात वैज्ञानिकों ने इस शांत घाटी के विषय में अध्ययन किया था। उनको भी बोलने नहीं दिया गया। ''भरतपूजा रीवर प्रोटेक्शन काउंसिल के अध्यक्ष श्री इदनूर गोपी को भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करने दी गई। पुलिस ने इकट्ठे लोगों को जबरदस्ती इधर-उधर कर दिया। परियोजना का विरोध करने वाले लोगों के साथ धक्का-मुक्की हुई और कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद भी उनके साथ गाली-गलौच हुई।

उपसंहार

उपरोक्त घटनाक्रम यह दर्शाता है कि 21-5-2004 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई पर्यावरण विषयक कानून का तथा मानवधिकारों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन था। वास्तव में, इसे सार्वजनिक सुनवाई कहा ही नहीं जा सकता। अतः उस समय जो एकत्रित थे उन सभी संबंधित लोगों ने उपर्युक्त सार्वजनिक सुनवाई को रद्द करने तथा नये सिरे से सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की मांग की है। समग्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पारदर्शी रूप से और सहभागी रूप से हो जाने के बाद ही ऐसी सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाए, ऐसी मांग भी की गई है। सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की जिम्मेदारी 'केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की है। यह स्पष्ट है कि उसके उसे उचित ढंग से आयोजित नहीं किया।

गरीबी और स्त्री-पुरुष भेदभावः लघु ऋण की मर्यादाएं

इस लेख में **श्री विवेक रावल** ने गरीबी निवारण के समग्र प्रयोजन के साथ लघु ऋण कहां सुसंगत हैं और कहाँ नहीं, इसे समझाने की कोशिश की है। लघु ऋण को गरीबी उन्मूलन के एकमात्र मार्ग के रूप में उभारने का पिछले कुछेक दशकों के दौरान प्रयास हुआ है। लेकिन लेखक यह दर्शाता है कि मात्र लघु ऋण से गरीबी का निवारण संभव नहीं है। व्यूहात्मक तरीके से इसका उपयोग करके अन्य रास्ते भी उसके साथ प्रयोग किये जाने चाहिए।

प्रस्तावना

ऋण एवं बचत की योजनाओं को गरीबी निवारण की संभावना के रूप में सम्मानित किया गया है परंतु इसके लाभों को लेकर अतिशयोक्ति की जाती है। परिवारों में सत्ता और असमानता के संबंधों को स्त्री-पुरुष भेदभाव जिस तरह प्रभावित करता है, उस तरफ ध्यान देने में यह असफल रहा है। बहुधा लघु ऋण लंबे समय तक कायम नहीं रहता और वह उसे चलाने के खर्च को शायद ही पूरा कर पाता है। गरीबी उन्मूलन और ऋण व बचत की योजनाओं को प्रभावी बनाना हो तो स्थानीय अर्थतंत्र और वैश्विक अर्थतंत्र के प्रयोजनों के साथ उनके संबंधों को मजबूत बनाने की जरूरत पड़ती है और महिलाओं की सक्षमता के साथ उन्हें जोड़ने की जरूरत पड़ती है।

'वूमनकाइंड वर्ल्डवाइड' के एक लेख में हाल ही में ऐसी धारणा को चुनौती दी गई है कि ऋण की योजनाएं गरीबी उन्मूलन हेतु कम खर्चीली, कार्यक्षम, प्रशासनिक दृष्टि से आसान और स्थायी होती हैं। लघु ऋण के अनेक प्रयासों का प्रतीकात्मक होना बताते हुए उसके लेखक यों कहते हैं कि योजना को चालू रखना मुश्किल होता है। लघु ऋण की सफलताओं के बारे में बहुधा अतिशयोक्ति की जाती है और उनकी परियोजनाएं चलाने हेतु जो आर्थिक खर्च होता है वैसे ही उनके कर्मचारियों के लिए जो खर्च होता है उसके बारे में चुप्पी धारण करली जाती है।

ऐसा कहा जाता है कि ये लघु ऋण की योजनाएं महिलाओं की सक्षमता बढ़ाने के लिए हैं परंतु महिलाओं को सम्मिलित करने का तर्क उसमें समस्यात्मक है। जब विविध संस्थाएं लघु ऋण की योजनाएं चलाती हैं तो ऋण की पुनः अदायगी हेतु वे महिलाओं को जिम्मेदार बनाती हैं। ये संस्थाएं फिर दाता संस्थाओं को बताती हैं कि ये योजनाएं कार्यक्षम हैं और टिकाऊ हैं। इस तरह, महिलाओं का उपयोग एक साधन के रूप में होता है। वास्तव में, लघु ऋण की योजनाएं गरीब और असहाय महिलाओं पर बोझ बढ़ाती हैं।

लघु ऋण की मर्यादाएं

जो गैर-सरकारी संगठन और महिला संगठन ऋण व बचत योजनाएं चलाते है वे अब पुलिस की भूमिका निभाते हैं। ये योजनाएं लाभकारी बनें इसके लिए वापसी भुगतान की दर ऊँची रखने पर ही वे अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। परिणामस्वरूप ऋण लेने वालों को वापस करने में जो समस्याएं सामने आती हैं उन्हें जो देखने-सुनने में आनाकानी करते हैं। इस वापस भुगतान में, सांस्कृतिक, परंपरागत और कानूनी अवरोध होते ही हैं, परंतु उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा कई अन्य कमियाँ भी हैं जो निम्नानुसार हैं:

(1) लघु ऋण की विविध योजनाओं के बीच समन्वय नहीं होता।

(1) अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग नियम-उपनियम होते हैं, इससे उसको इस्तेमाल करने वाले उलझन में पड़ जाते हैं और वे एक योजना को दूसरी योजना की स्पर्धा में समझाते हैं।

(3) संसाधनों का अभाव, परिवार में उनकी भूमिका और समुदाय में उनकी भूमिका तथा खास प्रवृत्तियों संबंधी सांस्कृतिक निषेध गरीब महिलाओं की आर्थिक प्रवृत्तियों पर किस तरह नियंत्रण लादते हैं वह बराबर समझ में नहीं आता।

(4) ऐसी नन्हीं आर्थिक प्रवृत्तियों में महिलाएं दाखिल हो जाती है जो लंबी अवधि में स्थगित हो जाती हैं और अलाभकारी बन जाती हैं।

शेष पृष्ठ 21 पर

गैर-सरकारी संगठनों में परिणाम-आधारित संचालन

'प्रिया'- दिल्ली के निदेशक **श्री राजेश टंडन** द्वारा लिखे इस लेख में 'परिणाम-आधारित संचालन' के उद्‌भव और गैर-सरकारी संगठनों के प्रशासन में इसके प्रवेश की बात करके उसके क्या परिणाम आये हैं और आ सकते हैं, इस बारे में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह विचार गरीब देशों के गैर-सरकारी संगठनों के लिए जिस तरह उपयोगी है वह भी इसमें समझाया गया है।

इतिहास

कंपनियों के संचालन संबंधी साहित्य में 'परिणाम-अधारित संचालन' (रिजल्ट-बेस्ड मैनेजमैंट - आर.बी.एम.) 1970 के दशक में दिखाई देने लगा था। उस समय कंपनियां अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही थीं। वे इस प्रकार थी:

(1) वैश्विक अर्थतंत्र में और विशेष रूप से पश्चिम के देशों में स्थिरता आ गई थी और इस प्रकार बाजारों का विस्तार होना रुक गया था।

(2) मुनाफा बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि निवेश से ज्यादा लाभ की मांग बढ़ी थी।

(3) विगत दशक में औद्योगिक व व्यापारी उद्यमों में अत्यंत द्रुत गति से विस्तार हुआ था और उसमें व्यापक स्तर पर समन्वित कार्यवाही की गई थी। परिणामतः कर्मचारियों, वस्तुओं, स्थानों तथा संचालन के स्तर में वृद्धि हुई थी।

इस परिस्थिति में संचालन क्षेत्र के विचारक, गुरुजन और सलाहकार इस प्रकार के मॉडल ढूँढ रहे थे और उनका प्रचार कर रहे थे जिनसे उत्पादकता बढ़े। इस अवधि में कंपनियों में निरीक्षण और संचालन के स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने हेतु विशेष बल दिया गया। उत्पादकता में गंभीरतापूर्वक वृद्धि करने हेतु यह एक ही प्राप्त मार्ग था। औद्योगिक अभियांत्रिकी और परियोजना संचालन के साधनों द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के दशकों के दौरान उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादकता वृद्धि सिद्ध हो चुकी थी। कंपनियों का द्रुत एवं व्यापक विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप निरीक्षण और संचालन के कार्य वांछित रूप से नहीं होते थे। ठोस परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करके संचालन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने 'परिणाम-आधारित संचालन' की पद्धति विकसित की है। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं:

(1) प्रत्येक प्रबंधक (मैनेजर) प्रबंधन (मैनेजमैंट) दल किसी निश्चित समयावधि के लिए उत्तरदायी हो, ऐसे महत्वपूर्ण परिणाम ढूंढ निकालना।

(2) प्रबंधक को इस समयावधि में वे जो सिद्ध करना चाहते हों वे लक्ष्य तय करने में मदद देना।

(3) इन लक्ष्यों की और प्रगति के मापनक्षम एवं ठोस निर्देशक विकसित करना।

(4) समयबद्ध रूप से ये लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी निश्चित योजनाएं तैयार करना।

(5) इन योजनाओं के लिए वांछित सत्ता एवं संसाधनों के बारे में ऊपरी अधिकारियों से चर्चा करना।

(6) समीक्षा और प्रोत्साहन की व्यवस्था के संबंध में उच्चाधिकारी से चर्चा हेतु सहमत होना।

इस मॉडल का बड़ी कंपनियों में सफलता से उपयोग हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप उनकी उत्पादकता में बहुत वृद्धि हुई है।

इसके बाद 1980 के दशक में इंटरनेट/ सूचना टैक्नोलोजी/ दूर संचार का जमाना आया। सूचना प्रक्रिया और तदनुसार हुई संगठनात्मक व्यवस्थाओं में आये द्रुत तकनीकी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अब उत्पादकता में लाभ हुआ। कंपनी संचालन के दर्शन में नव-प्रवर्तन, जोखिम उठाने की साहसिकता की तैयारी, श्रेणी विहीन तंत्र, काम का लचीला आयोजन - ये नए मंत्र बन गए। 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक में उदित इस व्यवस्था में 'परिणाम-आधारित संचालन' तय करने का और परिणामों के मापने का विचार कहीं खो गया। योजनाओं और मापन के साधन नहीं पर वृद्धि और मुनाफे के विचारों में साहस और नियोजकता महत्वपूर्ण बन गए।

उपयोग

किस प्रकार और कब इस 'परिणाम-आधारित संचालन' का विचार विकास की परिभाषा में प्रविष्ट हुआ? विश्व बैंक ने 1970 में पहली ही बार 'परियोजना चक्र संचालन' (प्रोजेक्ट साइकल मैनेजमैंट-पी.सी.एम) को दाखिल किया, उसी में से यह विचार उत्पन्न हुआ। इसी अवधि के दौरान 'जीरीजेड जर्मन एजेंसी ने 'जोप' और यू.एस.एड.ने 'लोजिकल फ्रेमवर्क दाखिल किया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय सहायता के क्षेत्र में 'परिणाम आधारित संचालन 1980 के दशक के पूर्वार्ध में ही दाखिल हुआ। उस समय अंतरराष्ट्रीय दाता संस्थाएं निम्न प्रकार के दबावों का सामना कर रही थी:'

(1) शीतयुद्ध के अंत के साथ सहायता कार्यक्रमों का औचित्य थोड़ा कमजोर पड़ गया।
(2) बड़े और उत्तरी गोलार्ध के अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अधिक संसाधन आए।
(3) सहायता प्राप्त करने वाले अनेक देशों में सतत विद्यमान गरीबी और संघर्ष प्रकाश में आए।
(4) सहायता के उपयोग में कार्य-अक्षमता और भ्रष्टाचारों के वृत्तांत ने सहायता की उपयोगिता के संदर्भ में प्रश्न खड़े किए।
(5) सहायता के विकल्प के रूप में निजी-क्षेत्र के सीधे विदेशी निवेश (फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमैंट) और व्यापार के नए स्वरूपों को प्रोत्साहन देने की शुरूआत हुई।

इस संदर्भ में ओ.ई.सी.डी (ओर्गेनाइजेशन फॉर इकोनोमिक कोओपरेशन एंड डेवलपमैंट) के देशों में अनेक लोग और सांसद 1950 से दी जाने वाली सहायता के असर को लेकर प्रश्न उठाने लगे हैं। सहायता प्राप्त करने वाले देशों में गरीबी की दशा में सीधे तौर पर क्या ठोस परिणाम आए हैं, यह दर्शाने का दबाव बढ़ा। परिणामत: दाता संस्थाओं ने उनके साधन व्यापक रूप से बदल डाले। दक्षिणी गोलार्ध के गैर-सरकारी संगठनों ओर ओ.ई.सी.डी (दुनिया के 30 धनवान देशों का संगठन) के गैर-सरकारी-संगठन जो 'शासकीय विकास सहायता' (ओफिशियल डेवलपमैंट असिस्टेंस-ओडीए) अदा करते थे उनके साधनों में भी परिवर्तन हुआ।

इस अवधि में ही 'परिणाम-आधारित संचालन' का प्रवेश गैर-सरकारी संगठनों पर कार्यक्रमों में हुआ। इस अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों पर दुगने बोझ का दबाव उत्पन्न हुआ: उनको ओ.ई.सी.डी के सदस्य देशों से घटती जाती अंतर्राष्ट्रीय सहायता की रक्षा करनी थी। साथ ही साथ यह सहायता गरीब देशों में ले जाने के लिए अपनी भूमिका की निरंतरता हेतु भी उन्हे दलील करनी थी। परिणाम बताने का दबाव इतना अधिक मजबूत था कि उसका प्रतिकार भी नहीं हो सकता और उसे हलका भी नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह है कि 'परिणाम-आधारित संचालन' के परिणाम क्या हैं? कुछ दशकों पूर्व कंपनियों में उनके उपयोग से जो परिणाम आए उस तरह क्या वे स्पष्ट और विश्वसनीय हैं?

प्रश्न

उपर्युक्त प्रश्नों के कोई स्पष्ट जवाब नहीं हैं। यद्यपि, मैं कुछेक प्राथमिक बातें बताना चाहता हूँ कि जो गरीब देशों के सहायता पाने वाले सभ्य समाज के संगठनों के संदर्भ में उनके उपयोग की पद्धति और संकल्पनाओं की प्रासंगिकता के साथ संबंधित हैं:

(1) गैर-सरकारी संगठन के कार्यक्रम के आयोजन में 'परिणाम-आधारित संचालन' के कई लाभदायी प्रभाव दिखाने की शुरूआत हुई है:
   (1) ठोस परिणामों को पहचानने की प्रक्रिया से गैर-सरकारी संगठन के कार्यकर्ता उनके कार्यक्रमों के उद्देश्य को लेकर अधिक स्पष्टता के साथ सोचने लगते हैं। अत: कार्यक्रमों को मूल उद्देश्य के साथ संबंधित करने संबंधी परिस्थिति उत्पन्न होती है।
   (2) 'परिणाम-आधारित संचालन' के साथ सम्बन्ध एल.एफ.ए. गैर-सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं को निर्धारित परिणामों के साथ कार्यक्रम की दस्तंदाजी संकलित करने संबंधी तर्क का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहन देता है।
   (3) परिणामों के साथ संबंधित निश्चित निर्देशकों को पहचानने से प्रगति की देखरेख संबंधित मापदंड तय करने में मदद मिलती है। ये निर्देशक बाद में समीक्षा और पुनर्आयोजन में भी मार्गदर्शक बनाते हैं।

(2) 'परिणाम-आधारित संचालन' के उपयोग से आंतरिक और बाह्य समीक्षा तथा मूल्यांकन कम विवादास्पद और अधिक पारदर्शी बनते हैं। जब 'परिणाम-आधारित संचालन' उपयोग में लिये जाएं, तब और आंतरिक व बाह्य जोखिमों की स्पष्ट रूप से जाँच की जाती हो तब कार्यक्रम के मूल्यांकन के अंत

में परिणामों और जोखिमों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। इस रूप से परिणामों की सिद्धि के मूल्यांकन में ही मदद नहीं मिलती वरन् भावी आयोजन के लिए विशेष रूप से बाहरी जोखिमों का आकलन सुधारने में भी मदद मिलती है।

(3) परिणाम-आधारित संचालन और एल.एफ.ए. की सबसे अधिक टीका उसके उपेक्षापूर्ण और जड़तापूर्ण उपयोग के संदर्भ में होती है। यह बात सही है कि अनेक गैर-सरकारी संगठन, उनके दाता और कंसल्टेंट्स पैसा प्राप्त करने की जरूरी शर्त के रूप में उसे गिन कर उसके प्रति शायद ही गंभीरता से ध्यान देते हों। किसी आदर्श, किसी सिद्धांत या किसी पद्धति का यह भावी हो सकता है। यह मैंने देखा है कि 'सहभागिता' को उपयोग में लेने के संदर्भ में उसे ही एक गंभीर अवरोध मानने के पर्याप्त प्रयास हुए हैं। अतः कंसल्टेंट्स और मैन्युअल्स में जो सावधानियां और सलाहें दी गई हैं उनके प्रति गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है।

(4) इस प्रकार, ऐसे दूसरे कौनसे गंभीर स्वरूप वाले मुद्दे हैं कि जिनके विषय में उनके उपयोग के संदर्भ में हमेशा चर्चा होती ही नहीं? सबसे पहला मुद्दा मुझे स्वयं लगा है वह है वे परिणाम कौनसे हैं जो तय करने हैं। मैंने जो कुछ परिणाम तय किये थे वही परिणाम क्या पूरे हुए हैं? (विशेषज्ञ उसे निक्षेप कहेंगे) या फिर परिणाम मेरे आयोजनबद्ध कार्यक्रम की मेरी कार्यक्षम सिद्धि का ही उत्पादन है? याने क्या यह परियोजना की अवधि के दौरान आया परिणाम है? अथवा फिर यह परिणाम मेरे द्वारा उत्पन्न प्रभाव की सिद्धि के परिणाम का परिणाम है? परिणाम निक्षेप (आउटपुट) कहलाते हैं कि जो कार्यक्षमता के उत्तम निर्देशक हैं। यदि हां, तो फिर हम आगे के परिणामों के विषय में चिंतित क्यों हैं? यदि नहीं, तो फिर परिणामों को लघुतम लाभदायी विषय मान लेना चाहिए। इस तरह सिद्ध परिणामों को साधनों का आदार रूप मानना चाहिए।

यदि आगे नहीं तो पीछे प्रभाव यह परिणाम है और उसकी सिद्धि लघुत्तम लाभ को प्रभावित कर सकती है। परंतु प्रभाव सिद्ध करने की इतनी बड़ी मुश्किल है कि वह 3 से 5 वर्ष के परियोजना-चक्र में सिद्ध नहीं हो सकती। यदि ऐसा न हो तो फिर जब वह परिणामित ही न होता हो तो उसे परिणाम क्यों कहा जाए? तीन वर्ष में सतत सिद्ध हुए परिणामों का योग ही है उत्तीर्णता। बाद में वह परिणामों की सामायिक वृत्ति दर्शाता है? मैं ऐसी धारणा बना लेता हूँ कि मैं 'परिणाम-आधारित संचालन' के दर्शन का स्वयं अपने कार्य में उपयोग करने का प्रयत्न करता हूँ और अलग-अलग विचार सिर दुखाते हैं। विशेष रूप से तब जब मेरे अध्ययन के दौरान मैंने अनेक वर्ष संचालन के साहित्य के अध्ययन में बिताये हैं।

(5) दूसरा प्रश्न सुरेखीयता का है, जो सिर उठाता है। साधन उत्पादन (इनपुट-आउटपुट) के बीच सुरेखीय संबंध की धारणा इस अभिगम में की गई है और उसका प्रचार किया गया है। उसका अर्थ यह है कि 'कच्चे लोहे को जब भट्टी में डाला गया तो फौलाद बना'। यह सुरेखीय तर्क लक्ष्य एक बार सिद्ध हो जाए तो बाद में उसके ऊपर के लक्ष्य और उद्देश्यों की श्रेणी पर भी लागू होता है। वह ऐसी छाप अंकित करता है कि निचले स्तर का लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही जा सकता है। ऐसे तार्किक और सुरेखीय विचार के मूल विज्ञानवाद और निगमन तर्क में पड़े हुए हैं, कि जिसमें फार्मूले को वास्तविकता की हूबहू प्रतिकृति के रूप में देखा जाता है 'जब दबाव और तापमान जैसे अन्य परिबल स्थिर रहते हैं, तब', जैसे वाक्य उसमें प्रयुक्त होते हैं और सफलता से प्रयुक्त होते हैं। मेरे आयोजन में मुझे मेरे ऐसे स्थिर परिबलों को बदलने की सतत आवश्यकता पड़ती है और उसमें दस्तंदाजी की प्रासंगिकता का भी समावेश होता है।

तर्क और सुरेखीयता पर बहुत बल दिया जाए तो फिर सामान्य बुद्धि कल्पना और श्रद्धा जैसी आवश्यक मानवीय कार्य-प्रक्रियाओं को समाप्त करने का रुझान विकसित होता है। यहां निहित धारणा यह है कि तार्किक और सुरेखीय विचारणा अंतर्प्रेरणा, कल्पना और श्रद्धा से श्रेष्ठ है, पर हजारों वर्षों के मनुष्य जाति के इतिहास के दौरान सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र के 'परिणाम' उसे सहारा नहीं देते। अभी की मानवीय स्थिति उत्तम है या बहुत उत्तम नहीं, इसका कारण अधिकांशतया तर्क की बजाय मनुष्य के आवेग हैं। अधिकांश मानव विकास के मूल्यों, श्रद्धा, स्वप्नों, और दृष्टियों ने बहुत

महत्त्वपूर्ण मूल्य-वृद्धि की है। विकास स्वयं ही एक शिक्षण-प्रक्रिया है जहाँ पूर्वसूचित आयोजन की बजाय अधिकतर प्रगति आगे बढ़ी होने के उदाहरण हैं।

(6) कंपनी जगत में 'परिणाम-आधारित संचालन' का जब स्वर्णयुग था तब कंपनियों के सर्वेसर्वाओं ने सोच-विचार कर कई प्रकार के कार्यों और कई प्रकार की कंपनियों को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर रखा था। उनमें शोध और विकास विभाग, प्रयोगशालाएं और तकनीकी विकास के विभाग समाविष्ट थे। ऐसे संगठनों में मुख्य कार्य शोध करने का था। शोध कार्य में उसे लचीलेपन से अंतर्सूझ से अनौपचारिक रूप और विस्तार से आयोजित करने की जरूरत पड़ती है। तभी सर्जनात्मकता विकसित होती है, नए विचार उद्‌भूत होते हैं और नये मॉडल उत्पन्न होते हैं और नया रास्ता ढूंढने पर ही परिणाम मिलते हैं।

अनेक गैर-सरकारी संगठनों के कार्य का स्वरूप एक जैसा होता है। उनकी नई बातों को बाद में मुख्य प्रवाह की नीति के बतौर स्वीकार किया जाता है और व्यापक आधार पर ले जाया जाता है। जब नई डिजाइन के अनुसार कंपनियों में थोकबंद उत्पादन होता है तब वे भी वैज्ञानिक, समूह में मापी जा सके ऐसी पद्धतियां और ऐसे साधन अपनाते हैं। इस प्रकार, प्रश्न यह है कि किस प्रकार की परियोजनाएं 'परिणाम-आधारित संचालन' के अनुसार तैयार की जानी चाहिए।

जिनमें प्रयोग की जरूरत होती हो, ऐसे तमाम कार्यक्रमों में अलग ही तरह के आयोजन की जरूरत रहती है। उनमें संसाधनों का उपयोग साधनों के रूप में होता है। वह एक ऐसे साहस में जोखिम उठाने की रीति है जिसमें विचार, श्रद्धा या भावी दृष्टि पर ही निवेश किया जाता है। वेंचर फंड निवेश की सफलता की दर 10 प्रतिशत से भी कम होती है। अर्थात् गैर-सरकारी संगठनों के विकास लक्ष्यी कार्यक्रमों में प्रयोगों और नये मामलों में निवेश की सफलता इतनी ही होती है। तब हम संसाधनों के कार्यक्षम उपयोग और पैसों के मूल्य की चिंता किये बिना ही इन प्रयोगों में 'परिणाम आधारित संचालन' को कैसे लागू कर सकेंगे?

मेरा मानना है कि सहायता उद्योगों के प्रबंधकों को आज नये विषयों की खोज करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता क्योंकि बजट घट रहा है और सहायता प्राप्त करने वाले देशों में मोटी और पैसा निकल जाने वाली सरकारों द्वारा चलने वाले विकास का थोकबंद उत्पादन करने वाले बड़े कारखाने वे इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु एक क्षण के लिए यह सोचने लायक है कि विकास के आज के कारखाने विगत कुछ दशकों से सामाजिक प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग हो रहे हैं उनकी वजह से ही उत्पादन कर रहे हैं।

यदि आज जिनमें 'परिणाम-आधारित संचालन' का पर्याप्त उपयोग हुआ हो, ऐसे ही विकास लक्ष्यी उद्यमों में निवेश होता हो तो फिर, आज के और आने वाले कल के प्रयोगों के पैसे किस तरह अएंगे और किनके द्वारा आयेंगे? और यदि आज के और अने वाले कल के नए प्रयोगों में कोई निवेश न हो तो हम भविष्य में किसका उत्पादन करेंगे और बड़े स्तर पर कैसे करेंगे?

(7) अंत में हमारे काम नियमावली के अनुसार ही ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं इसकी मुझे चिंता है। वर्तमान सामाजिक और मानवीय माहौल में हम जिस इरादे से दस्तंदाजी करते हैं वह किसी उच्च स्तरीय उद्देश्य द्वारा प्रेरित है। वह जगत को बदलने का उद्देश्य है क्योंकि जगत में जो वंचितता, बादबाकी और अन्याय है वह हमें पसंद नहीं। हमने प्रभाव को सुधारने के लिए हम अपना काम ज्यादा विधिवत करने को सहमत हुए हैं। ऐसा करने में, हमने ज्यादा व्यावसायिक निपुणता प्राप्त की है। यह वाकई वांछनीय है। परंतु इस प्रक्रिया में कहीं 'नो -हाऊ' 'नो-व्हाय' से ज्यादा महत्त्व का बन गया है।

कंसल्टेंट्स और उनकी कंसल्टेंसी की संस्थाएं प्रशिक्षकों के मैन्युअल तैयार करने में व्यस्त हैं। ऐसा श्रेष्ठ मैन्युअल अमेरिका की 'टीम टेक्नोलोजी' द्वारा तैयार हुआ है। 'परिणाम-आधारित संचालन' के 'नो-हाऊ' के बारे में सभी गैर-सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन उपयोग में लाये जा रहे हैं। यह अत्यंत विख्यात तकनीकी-संचालकीय अभिगम हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या करने

का है और जो हमें पसंद नहीं उस वास्तविकता की बदलने संबंधी हमारे वांछित लक्ष्यों के आधार के खिलाफ ही एतराज उठाने के लिए मुझे प्रेरित करता है।

मेरे लिए 'परिणामों' की व्यवस्था वंचितता, बादबाकी, और अन्याय के विरुद्ध दस्तंदाजी अनिवार्य राजनीतिक और नैतिक जरूरत है, ऐसी मेरी समझ है। ये दस्तंदाजियां आदर्शों श्रद्धाओं और दृष्टि पर आधारित रहती है। यह ऐसी मान्यता के साथ कि सामाजिक और मानवीय विकास अनिवार्यतया हम जिनकी चिंता करते हैं, ऐसी वंचितता, बादबाकी और अन्याय के शिकार बने लोगों के पक्ष में सत्ता के संबंधों को बदलने की दस्तंदाजी है। यह प्रश्न पूछते रहे: किस लिए? परंतु किस लिए? वह स्वयं ही 'नो-व्हाय' है या हमें जिसकी जरूरत है। 'नो-हाऊ' में हम डूब जायें इससे पहले हमें इसकी जरूरत है। 'परिणाम आधारित संचालन' के उपयोग से पहले 'नो-व्हाय' में दिखती है, क्या ऐसी क्षमता उत्पन्न की गई हैं?

मेरे मतानुसार दूसरों के जीवन में दस्तंदाजी करने की हमारी आजादी का नैतिक आधार सार्वजनिक रूप से कहा जाना चाहिए और उसके लिए मान्यता मिलनी चाहिए। कोई भी परिणाम दर्शाने की मेरी दस्तंदाजी हेतु जरूरी संसाधन और साधन प्राप्त करूं उससे पहले यह होना चाहिए।

पृष्ठ 16 का शेष भाग

(5) लघु ऋण की योजनाओं पर व्यापक परिबल किस तरह प्रभाव डालते हैं यह समझ में नहीं आता। उदाहरणार्थ विश्व बाजार में कोको का भाव घटने से घाना नामक अफ्रीकी देश में भारी मंदी आई और उससे छोटी महिला व्यापारियों के लिए लघु ऋण का पुनर्भुगतान कर पाना मुश्किल हो गया। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी उन्मूलन की लघु ऋण योजना ने गरीब महिलाओं की गरीबी को और ज्यादा बढ़ा दिया।

क्या होना चाहिए?

'वूमनकाइंड वर्ल्डवाइड' और उसकी सहभागी संस्थाएं गरीबी और असहायता पर सीधा हमला करने के लिए लघु ऋण के अलावा अन्य कार्यक्रम बना रही है। ऋण और बचत की योजना के नियमों के बारे में समुदायों को तथा गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को मात्र प्रशिक्षण देने के बदले पैसा अधिक सुरक्षित रूप से मुनाफा कैसे कर सकता है यह समझ विकसित करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रयोगों के आधार पर पढ़ाई, और उस पर प्रशिक्षण को आधारित किया जाता है और लोगों के अपने अनुभवों के आधार पर सबक ग्रहण किया जाता है। महिलाओं को यह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे जो सोचती हैं उसके बारे में उन्हें सीखने की जरूरत है। वे खेती, पशुपालन, अन्य प्रक्रिया, और परिवहन जैसे क्षेत्रों के नये स्थानीय रूप से उपयोगी कौशल प्राप्त करती हैं और नये बाजार में प्रवेश पाने के लिए सक्षम बनती हैं।

'वूमनकाइंड वर्ल्डवाइड' लघु ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं से निम्नांकित बातें करने की विनती करती है:

(1) ऐसी धारणा छोड़ दो कि व्यक्ति सिर्फ कठोर परिश्रम करके अपने को गरीबी से बाहर निकाल सकता है।
(2) सफलताओं और विफलताओं दोनों के बारे में सूचनाओं का अधिक व्यापक रूप से आदान-प्रदान करना चाहिए।
(3) जीवन निर्वाह के विषय में एक प्रकार का समन्वित अभिगम अपनाना, ऋण की व्यवस्था करने के अलावा अन्य अनेक प्रकार की सहायता देना चाहिए।
(4) यह समझो कि मुक्त व्यापार और वैश्विक बाजार के साथ का संबंध गरीबी निवारण की तरफ ले ही जाए ऐसा जरूरी नहीं।
(5) गरीबों के लिए अभियान चलाने वाले सभ्य समाज के स्थानीय संगठनों को मदद दो।

गरीबी निवारण हेतु लघु ऋण कोई जादू की छड़ी नहीं है, परंतु जागरूकता उत्पन्न करने का, नन्ही सामुदायिक दस्तंदाजियां करने का और नीति विषयक कार्य करने का काम विधिवत अभिगम से परस्पर जोड़ा जाए तो वह व्यूहात्मक साधन बन लकता है। स्रोत: 'पासिंग द बक? मनी लिटरेसी एंड अल्टरनेटिव्ज टू क्रेडिट एंड सेविंग्स स्कीम्स' - हेलन पेंकहर्स्ट, 'जेंडर एंड डेवलपमैन्ट': ग्रंथ-10, नं. 3, नवम्बर-2002.

वित्त मंत्री को 'वाणी' का आवेदन-पत्र

भारत में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें प्रति वर्ष नए वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती हैं। बजट सरकार का वित्तीय प्रतिवेदन है जो सरकार की आय व व्यय के अनुमान प्रस्तुत करता है। इसके उपरांत बजट यह भी प्रस्तुत करता है कि सरकार अपने आय एवं व्यय के स्वरूप द्वारा अर्थतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहती है। यहां 'वोलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया' (वाणी) द्वारा भारत के वित्त मंत्री को भेजने के लिए एक आवेदन-पत्र दिया गया है। इसमें स्वैच्छिक संगठनों से संबंधित मुद्दों को समाविष्ट किया गया है।

1.1 पंजीकरण

कई स्वैच्छिक संस्थाओं ने अभी तक आय कर अधिकारियों के समक्ष पंजीकरण नहीं कराया और यह अनिवार्य है कि वे ऐसा पंजीकरण प्राप्त करें। हमारा ऐसा सुझाव है कि छह माह की सीमित अवधि हेतु जिन संस्थाओं का पंजीकरण नहीं हुआ उनके लिए क्षमा योजना घोषित की जाए।

1.2 हिसाब की पद्धति

संगठनों को रोकड़ के आधार पर या खर्च के आधार पर हिसाब की पद्धति का चयन करने का विकल्प दिया जाता है। परंतु जो संस्थाएं आय सर्जन की प्रवृत्तियों में शामिल हैं उन्हें आइजीपी के लिए खर्च के आधार वाली और अनुदान हेतु रोकड़ के आधार वाली हिसाबी पद्धति अपनानी पड़ती है। अतः स्वैच्छिक संस्थाओं को ये दोनों प्रकार की हिसाबी पद्धति अपनाने की छूट होनी चाहिए।

1.3 आय

सरकार सहित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दाता स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान के द्वारा मदद देते हैं। अभी कई स्वैच्छिक संगठन इस आय को मूलधन आय मानते हैं और अन्य कई संगठन आयकर के हेतु की आय मानते हैं। आयकर विभाग ये दोनों मत स्वीकार करता है। यह जरूरी है कि विभाग निश्चित रूप से यह बताये कि ऐसे अनुदान को आय न माना जाए।

1.4 निधि (कोर्पस फंड)

स्वैच्छिक संगठन स्थायित्व की व्यूहरचना के एक भाग के रूप में अपना कोष या निधि स्थापित करते हैं। स्वैच्छिक संगठनों की बचत और आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों से ही जिस की तब्दीली हो उसे छूट दी जानी चाहिए। इसमें आय की 10 से 15 प्रतिशत के ऊपर की सीमा तय की जा सकती है। इसके उपरांत, आंतरिक रूप से स्थापित संसाधनों का समावेश निधि में करने संबंधी उसकी व्याख्या विस्तृत की जानी चाहिए।

1.5 लघु ऋण

सरकार लघु ऋण की संस्थाओं को सहायता देती है और चाहती है कि ये संस्थाएं मजबूत हों। इनमें से ज्यादातर संगठन किसी कानून के अधीन पंजीकृत नहीं और आय कर धारा के अधीन लघु ऋण की संस्थाओं को कोई निश्चित छूट नहीं दी जाती। अतः स्वयं सहायता समूहों के महामंडलों और लघु उद्यमों समेत लघु ऋण संस्थाओं के संगठन जैसे असंगठित क्षेत्र की आय को आय कर धारा के अधीन मुक्ति पात्र मानना चाहिए।

1.6 आय सर्जन

स्थायित्व की व्यूहरचना के रूप में गैर सरकारी संगठन सामान्यतया आय सर्जन की प्रवृत्ति को हाथ में लेते हैं। इन प्रवृत्तियों के लिए उपयोग में ली जाने वाली आप को मदद देने के उपरांत, इन प्रवृत्तियों का उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने हेतु भी किया जाता है।

शेष पृष्ठ 28 पर

सामाजिक अलगाव से समावेश: पीआरए, विकलांगता और भेदभाव संबंधी अनुभव

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन में समुदाय के साथ विचार-विमर्श के दौरान प्रयुक्त साधनों का समूह शामिल है। यह समुदाय की अत्यंत संवेदनशील भावनाओं को समझने में निरंतर विचार-विमर्श के द्वारा मदद करता है और कार्यक्रम के प्रति समुदाय की स्वामित्व की भावना सुनिश्चित करता है। इस लेख को उन्नति की **सुश्री शंखरूपा ए. दामले, गीता शर्मा, एलिस मौरिस** व **स्वाति सिन्हा** और हैंडिकेप इंटरनेशनल की **अर्चना श्रीवास्तव** ने विकलांग व्यक्तिओं की स्थिति और समुदाय के साथ उनके संबंध को समझने के लिए पीआरए तकनीकों के द्वारा सामुदायिक परामर्श करते हुए प्राप्त अनुभवों के आधार पर संयुक्त रूप से लिखा है।

अध्ययन की भूमिका

विकलांग व्यक्तियों की स्थिति ज्ञात करने और उनको समाज की मुख्यधारा में समावेश करने के मार्ग तलाशने के साथ समुदाय में सहभागी शोध कार्य हाथ में लिया गया था। 'विकलांगता कोई अलग अलग मुद्दा नहीं जिनसे हम अलग रहना पसंद कर सकें। हम चाहें या न चाहें पर वह हम सबके जीवन के तानों-बानों में गुंथा हुआ मुद्दा है।' यह बताते हैं 'ओक्सफाम' के श्री पीटर कोकरिज।

विकलांगता एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्या है और विकलांग व्यक्ति समाज द्वारा तिरस्कृत अत्यंत असहाय समूहों में से एक समूह है। अनेक व्यवसायियों ने अनेक बार विकलांगों की सामान्य समस्याओं पर गौर किया है पर विकलांगों के अपने विचारों पर शायद ही ध्यान दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं, कौशलों और सुषुप्त शक्तियों को शायद ही पहचाना गया है। अतः उनसे यही अपेक्षा की गई है कि समाज की मुख्य धारा की प्रवृत्तियों से छिपे, अदृश्य और निष्कासित रहें। परिणामतः वे सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृत, आर्थिक दृष्टि से लगभग कंगाल और राजनीतिक दृष्टि से नितांत उपेक्षित नजर आते हैं।

'उन्नति-विकास शिक्षण संगठन' गुजरात व राजस्थान में मुख्यतया दलितों व विकलांगों जैसे दुर्बल वर्गों के सामाजिक समावेश और सक्षमता के सवालों को लेकर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' के सहयोग से हम गुजरात के चार जिलों में १३ सहभागी संगठनों की सहभागिता में विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की विविध प्रक्रियाओं को खोजने का प्रयास किया है।

अपने अध्ययन में समाज के सभी असहाय वर्गों का समावेश करने का प्रयत्न किया गया है ताकि इसे समझा जा सके इस प्रत्येक वर्ग का दूसरे के साथ किस तरह समन्वय किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के साथ सीधे संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस तरह विकलांग व्यक्तियों के समावेश को प्रोत्साहन मिला। विविध असहाय समूहों को विकासपरक प्रक्रिया में शामिल करने में जो प्रक्रियाएं हुई हैं और उनसे जो सीखने को मिला है वह इस लेख में प्रस्तुत है।

प्रायोगिक अध्ययन

गुजरात में कुछ जिलों में सर्वेक्षण हाथ में लिया गया और उसके लिए प्रायोगिक अध्ययन हेतु कुछेक साधन तैयार किये गए। प्रायोगिक अध्ययन हेतु एक गांव का चयन किया गया। सरपंच, समुदाय के अन्य नेताओं और कई गैर-सरकारी संगठनों के साथ पहले से ही सम्पर्क किया गया और उन्हें आने का उद्देश्य समझाया गया। इस शोध का इरादा मात्र जानकारी एकत्र करने का नहीं था, वरन् विकलांगता के सामाजिक व आर्थिक पक्ष को समझने और उसका तेज़ी से निवारण का तथा इस निवारण में समाज के सभी हितैषियों की सहभागिता उत्पन्न करने का भी था। पूर्व निर्धारित सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) के साधन उपयोग में लिये गए।

प्रायोगिक अध्ययन की समीक्षा के बाद अंततः जो साधन तय किये

गए उनमें विविध संदर्भों के साथ के नक्शे तैयार करने, वेन डायग्राम, औपचारिक व अनौपचारिक समूह चर्चाओं, व्यक्तिगत साक्षात्कार, फिल्म-शो और हितैषियों की बैठकों का समावेश हुआ था। गुजरात के चार जिलों - साबरकांठा, अहमदाबाद, बड़ौदा और पाटन में १३ सहभागी संगठनों के साथ मिल कर कुल १३ गांवों में आखिरी अध्ययन का आयोजन किया गया था।

क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की अभिमुखता

प्रत्येक सहभागी संगठन के कार्यक्षेत्र के इलाके में एक साक्षात्कार आयोजित किया गया। उसमें सहभागी संगठन के कार्यकर्ताओं को अध्ययन के साधन और प्रक्रिया समझाई गई, उनका निदर्शन कराया गया और उनसे कुछ सीखने को भी मिला। 'पुटिंग द लास्ट फर्स्ट' नामक एक फिल्म दिखा कर 'सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन' (पीआरए) का निदर्शन किया गया।

उसमें पीआरए हेतु उचित व्यवहार एवं भावों का चित्रण किया गया है। विकलांगों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति के संदर्भ में जो क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है उसमें से कई निष्कर्ष यहां दिये जा रहे हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष

विकलांगों की सामाजिक स्थिति

ग्रामीण गुजरात में विकलांगों को सामान्यतया व्यक्ति के किसी पाप का कारण माना जाता है। अतः अनेक मामलों में एक विकलांग बालक के साथ सामान्य बालक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। सामाजिक अस्वीकृति के कारण विकलांग व्यक्तियों को अधिकांशतया सामाजिक व सांस्कृतिक प्रसंगों से दूर रखा जाता है। अतः वे छिपे और अदृश्य रह कर घर के कोने में पड़े रहते हैं।

शैक्षिक स्थिति

सहभागी शोध के अपने अनुभव के आधार पर सहभागियों ने कहा कि विकलांग बालकों को शाला में नहीं भेजा जाता अथवा कुछ समय के बाद उनकी पढ़ाई बंद कर दी जाती है और इसके लिए ऐसा बहाना बताया जाता है कि यह उनके लिए आर्थिक बोझ है। कुछ मामलों में माँ-बाप अपने विकलांग बालकों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं परंतु ऐसे बालकों की विशेष जरूरतों पर ध्यान देने के लिए कोई सहयोग देने वाली वित्तीय संस्था के बारे में वे कुछ नहीं जानते।

आर्थिक स्थिति

सामान्य अवलोकन ऐसा है कि अधिकांश विकलांग लोग गरीब हैं और गरीब रहते हैं। वे आर्थिक दृष्टि से दूसरों पर आधारित होते हैं, फिर चाहे वे पुरुष हों या स्त्री। तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी आर्थिक दशा वाले परिवारों में भी विकलांग व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से उनके परिवार के सदस्यों पर या मित्रों पर आधारित रहते हैं।

विकलांग महिलाएं

सामान्यतया ऐसा जानने में आया है कि विकलांग स्त्रियों की स्थिति विकलांग पुरुषों से खराब होती है। विकलांग स्त्रियां शारीरिक अपंगता से तो पीड़ित रहती ही हैं पर साथ ही साथ उनको पुरुषों और सामान्य स्त्रियों का मानसिक त्रास भी सहन करना पड़ता है। वे बहुधा समुदाय के अन्य पुरुषों द्वारा यौन-पीड़ा की शिकार बन जाती हैं। सामान्यतया विकलांग स्त्री के विवाह के लिए परिवार वाले विकलांग पुरुष की ही खोज करते हैं पर विकलांग पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं होता।

हमारे सम्पर्क के दौरान हमें जो मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुए हैं और हमें जो समस्याएं दिखी हैं उनमें से कुछ को हमने यहां दर्शाने का प्रयत्न किया है।

पद्धति के मुद्दे

हमें प्राप्त सबक और सूचित भावी अभिगम

(१) सभी मामलों का प्रतिनिधित्व

समुदाय की भागीदारी समस्या के प्रति संवेदनशील बनने में मदद देती है और इस तरह जागारूकता उत्पन्न करने में सहायक बनती है। इस तरह जरूरी है कि सामाजिक नक्शा अथवा गांव का नक्शा तैयार किया जाए, तब गांव के सभी समुदायों के लोग उसमें भागीदार हों और उसमें योगदान दें। वैसे, इस प्रक्रिया में कुछ अपवाद भी हैं।

कभी कई परिबलों के कारण सभी समुदाय एक ही स्थान पर एकत्र नहीं होते। दो पक्षों के बीच के संघर्ष के कारण या जातिगत द्वेष और भेदभाव के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। ऐसे समय में इन मोहल्लों के लिए अलग से सामाजिक नक्शे तैयार किये जाते हैं। फिर, कई बार गंभीर प्रयास किये जाने के बावजूद सभी समुदायों के लोग एक ही स्थान पर इकट्ठे होने को तैयार नहीं होते। ऐसे मामले में सामाजिक नक्शे तैयार हो जाने के बाद जिनकी भागीदारी नहीं हो पाती उन्हें ऐसे मोहल्ले में ले जाया जाता है जहां उनके विचारों को जाना जा सके। उससे एकत्रित सूचनाओं की जांच हो जाती है और शेष रही सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं।

साबरकांठा जिले की वडाली तहसील के थेरासणा गांव में हमें ऐसी ही मुश्किल का सामना करना पड़ा था। हम सामाजिक नक्शा तैयार करने के उद्देश्य से ग्राम वासियों के पास पहुंचे थे और विकलांग लोगों की स्थिति समझना हमारा उद्देश्य था। पटेलों और अन्य समुदायों के बीच कुछ दिनों पूर्व किसी मुद्दे पर झगड़ा होने से वे एक ही स्थान पर साथ बैठने को तैयार न थे। वे समान कार्यक्रम में भागीदार बनने को भी तैयार न थे। अतः दो मोहल्लों के लिए अलग-अलग पीआरए हाथ में लिया गया।

गांव में पदयात्रा करने के बाद हम पटेल विहीन समुदाय के एक आंगनवाड़ी केन्द्र पर एकत्र हुए। लोगों ने ही उसके लिए सुझाव दिया था और सामाजिक नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। ग्रामवासियों को एक बार फिर से हमारे सम्पर्क करने का उद्देश्य समझाया गया तब कई लोगों ने पहल की और नक्शा बनाने की शुरूआत की। तब दूसरे उनके आसपास बैठे या खड़े रहे और जो कुछ खींचा या लिखा जा रहा था उसे देखते रहे। समग्र प्रक्रिया के प्रति उनकी यह निष्क्रिय भागीदारी था। हम तो बस, सब देखते रहे। कुछ समय बाद हमने देखा कि आसपास गोले में जो खड़े थे उनमें से कई लोग कम हो गए और उनमें से कुछ लोग एक कोने में बैठ गए और वे अलग नक्शा तैयार करने लगे। उन्हें पूछने पर जानने को मिला कि वे हरिजन थे। जो लोग बीच में बैठे थे वे ठक्कर समुदाय के थे। ठक्करों को हरिजन समुदाय के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी अतः उन लोगों ने अपना नक्शा तैयार करना शुरू किया।

इस तरह यह जरूरी है कि गाँव के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा सामाजिक नक्शा तैयार हो। यदि किन्हीं कारणों ऐसा न हो सके तो विविध मोहल्लों और समुदायों के लिए अलग-अलग नक्शे तैयार करने अनिवार्य है क्योंकि सहभागिता महत्व की चीज है।

(२) परिवर्तन की प्रक्रिया

साबरकांठा जिले की प्रांतिज तहसील के हुंज गांव में पदयात्रा करके हम सभी मोहल्लों में घूमें और लोगों से मिले। जब हम दर्ज़ी मोहल्लों में गए तो उनसे पूछा कि कहां मिलें और चर्चा करें। हमारी धारणा के नितांत विरुद्ध उन्होंने में फौरन जवाब दिया 'मंदिर' में। ब्राह्मणों का मंदिर होते हुए भी समग्र गांव के लोग वहां जाते थे। भारत के अनेक गाँवों में आज भी मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश नहीं मिलता पर यहां वैसा नहीं था।

हम तीन दिन गाँव में रहे। इस दौरान हमें लोगों के साथ अनौपचारिक ढंग से चर्चा करने का मौका मिला और संवेदनशील सवालों की चर्चा करने का अवसर मिला। उस समय एक व्यक्ति ने हमें कहा कि 'आप आये और हमसे मिले, ग्रामवासियों के साथ नक्शा बनाया और इससे मंदिर में सभी जातियों के लोगों को प्रविष्ट होने का मौका मिला, नहीं तो वह हमारे लिए तो एक सपना था।' यह अनुभव दर्शाता है कि सहभागी पद्धतियों के द्वारा थोड़े समय के लिए ही सही, सामाजिक स्तरों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला पाना संभव है।

(३) जटिल सामाजिक प्रक्रिया

इसी गाँव में सरपंच ने बहुत सहयोग दिया और वे बहुत सहयोगी रहे। ऐसा लगता था कि वे हमारी मुलाकात के उद्देश्य को भली-भाँति समझे थे। उन्होंने इसमें मदद दी थी कि एक ही स्थान पर सेवाओं और अवसरों का नक्शा बनाने के लिए सब इकट्ठे हों। एक विकलांग महिला जालाबहन मूक-बधिर थी। उसे भी नक्शा तैयार करने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया।

समूह नक्शा तैयार करने में खो गया और अचानक पता चला कि जालाबहन चली गई है। उस समय हमें कारण का पता नहीं चला। बाद में हमें पता लगा कि सरपंच हमारे पीछे खड़े थे। उन्होंने इशारा

करके जालाबहन को वहां से चले जाने को कहा था। कारण यह था कि जालाबहन मोटी आवाज में कुछ कहती था और वह उनकों पसंद नहीं थी। जालाबहन मूक-बधिर थी अतः ऊँची आवाज में अपनी अभिव्यक्ति करती थी। यदि हम पहले से सावधान होते और परस्पर समन्वय रखते तो सरपंच के व्यवहार को रोक देते। इस प्रकार, नक्शा बनाने की प्रक्रिया के दौरान उप समूह की चर्चा की भाँति यथा संभव समूह प्रक्रियाओं के ब्यौरों पर ध्यान देना जरूरी है।

(४) लोगों की प्राथमिकता के समक्ष अपनी प्राथमिकता

बड़ौदा के एक झोंपड़पट्टी क्षेत्र गांधी कोतर में हमने सम्पर्क किया तब हमें वहां थोड़े दिनों तक अनौपचारिक बातचीत करने के बाद भी लोगों का सहयोग नहीं मिला। थोड़े समय बाद हमें पता लगा कि झोंपड़पट्टी का यह क्षेत्र हाल ही में वहां बना है और वहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। हैजे के कारण वहां के बहुत सारे निवासी मर गए थे क्योंकि झोंपड़पट्टी के पास से ही गंदा नाला गुजरता था और उसका गटर जैसा पानी उन्हें पीना पड़ता था। वहां सिर्फ एक हैंडपंप था और गर्मियों में तो उसमें से भी पानी नहीं आता था।

लोगों ने हमारे सामने ये सारी समस्याएं रखी और हमने उन्हें सुना। हमारे सम्पर्क का उद्देश्य विकलांगता की समस्या पर चर्चा करना था पर उसके बाद हमने अपनी बात कहने का प्रयास ही नहीं किया। उसके बजाय हमने सहभागी संगठन को पहले बुनियादी समस्याएं दूर करने पर ध्यान देने की बात बताई क्योंकि वह इस झोंपड़पट्टी में बालकों से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। यह व्यूहरचना काम कर गई और बाद में जब हम वहाँ फिर से स्थानीय संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ गए तो हमें वहाँ सहयोग मिला।

(५) विभिन्न वास्तविकताएं और प्राथमिकताएं

अहमदाबाद जिले की धोलका तहसील के काणोतर गाँव में हमें ग्रामवासियों द्वारा तय किए मंदिर में इकट्ठे होना था। वहां गाँव में उपलब्ध सेवाओं की प्राथमिकता तय करने के लिए वेन डायग्राम तैयार करना था। नक्शे के आसपास वृद्ध लोग बैठे थे और प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, वहीं युवक पीछे खड़े-खड़े सहयोग दे रहे थे। युवकों और वृद्धों की प्राथमिकताओं में बहुत अंतर था। वृद्ध यह मानते थे कि मंदिर और कम्युनिटी हॉल सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवाएँ थी और सतही डायग्राम तैयार करते समय सारे देवी-देवताओं के नामों का उल्लेख हो, ऐसा वृद्धों का आग्रह था। दूसरी तरफ, गाँव से शाला और कॉलेज बहुत दूर थे, अतः लगता था कि युवाओं के लिए वह विषय महत्वपूर्ण था।

इस प्रकार, ऐसी प्रक्रिया में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया में कौनसा समूह शामिल। उनकी उम्र, वर्ग, जाति, पुरुष या स्त्री अदि दर्ज करना ताकि गाँव की वास्तविक परिस्थिति के बारे में ज्यादा अच्छी समझ विकसित हो सके। यह नोट करना भी जरूरी है कि पी आर ए की प्रक्रिया में कैसे-कैसे लोग शामिल हुए हैं और किसकी आवाज उसमें सुनाई दी है। इसका कारण यह है कि समुदाय के अलग-अलग समूहों की प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि उनका सामान्यीकरण न किया जाए।

(६) तमाम हितैषियों के प्रति संवेदनशीलता

साबरकांठा जिले के हंसपुर गाँव में हमने सामाजिक नक्शे के साथ पदयात्रा की। २००२ में हुए दंगों के दौरान इस गाँव में भी दंगे हुए थे। जब ग्रामवासियों के इस काम का उद्देश्य समझाया गया तो बहुत कम ग्रामवासी इससे जुड़े। पदयात्रा पूरी हुई तो हम गाँव के बीच एक बड़ के नीचे इकट्ठे हुए। आरंभ में तो बहुत सारे लोग थे, पर बाद में धीरे-धीरे उनकी संख्या घटने लगी और आखिर में एक-दो स्त्रियाँ ही रह गई। ये आश्चर्यजनक था, पर हमने अपना काम चालू रखा। एक समय कई युवक वहाँ आए और हमें अपना काम करने से रोका।

हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं और किस काम से आये हैं आदि प्रश्न वे हमसे पूछने लगे। आरंभ में ही हमने अपना उद्देश्य समझा दिया था फिर भी ऐसा हुआ। हमने उनको बार-बार समझाया, फिर भी वे माने नहीं। बाद में हमने उन्हें कुछ नए गाँवों के नक्शे बताये, जिन्हें उन गाँवों के लोगों ने ही बनाया था। ऐसा हमें लगता था कि उनसे उन्हें विश्वास हो जाएगा, पर वह काम नहीं आया और युवकों ने खुद ही गाँव का नक्शा बनाने का काम हाथ में लिया।

दूसरे दिन हम उसी गाँव में गए तो हमें सरपंच मिले। पिछले दिन वे उपस्थित नहीं थे। उन्होंने बताया कि गाँव में हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं। हमने भी पिछले दिन यह देखा था। गोधरा में एक वर्ष पूर्व जिस दिन ट्रेन हत्याकांड हुआ था, वह वही दिन था। फिर भी विकलांग लोगों की पहचान के लिए और उनके साथ काम करने के लिए सामाजिक नक्शे की जरूरत लोगों की समझ में नहीं आई थी। इससे उन्हें ऐसा लगा कि यह तो दूसरे समुदाय की उनके लिए कोई साजिश है और वे बाद में किसी समय किन्हीं परिवारों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं।

इस प्रकार किसी भी पीआरए की प्रक्रिया में तमाम हितैषियों के प्रति संवेदनशील और धैर्यवान बनना और उनकी बात सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीआरए के दौरान जो सहज क्षेत्रीय अनुभव हुए उनके आधार पर उपयुक्त बातें लिखी गई हैं। यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति विभिन्न प्रदेश में बदल सकती है अतः संबंधित प्रदेश के अनुसार इसमें परिवर्तन किये जाने चाहिए।

व्यवसायी-व्यक्तिगत अभिगम पर प्रभाव

सीखने को मिली उपर्युक्त बातों में वर्तमान व्यवसायी और व्यक्तिगत अभिगमों पर रचनात्मक प्रभाव डाले हैं:

(१) अधिक संवेदनशील अभिगम

अध्ययन में शामिल सहभागियों के साथ सहभागिता के अभिगम के संबंध में तथा उसकी संवेदनशीलता के संबंध में बातचीत की गई थी। उन्हें भी सहभागिता के अभिगम के लाभ बताये गए थे और उन्होंने समुदाय के अन्य तात्कालिक प्रश्नों को पहचानने में उसका उपयोग किया था।

(२) समावेश

मात्र हमारे सहभागी संगठनों ने ही नहीं वरन हमारे अपने संगठन में भी विविध मुद्दे पर काम करने वाली इकाइयों ने सभी हितैषियों को शामिल करने की शुरूआत की है। उसमें मुख्य धारा की विकास प्रक्रिया में समाज के कुछ वर्गों के समावेश पर बल देने का प्रयास किया गया है।

(३) भिन्न वास्तविकताएं

विविध सामाजिक समूहों के अभिप्राय को एक समान महत्व दिया है। किसी भी मुद्दे पर काम करने में प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि तो उपस्थित हो ही ताकि पूर्वग्रहों के बिना योजनाएं बनें। व्यवसायी स्तर पर ही नहीं, पर व्यक्तिगत संबंधों और बातचीत के स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के अभिप्रायों को उचित महत्व दिया गया था।

(४) परिवर्तन की पहचाऩ

सामाजिक परिवर्तन बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और उसके लिये धीरज की जरूरत पड़ती है। कभी कोई व्यक्ति बड़े परिवर्तन लाने में इतना ज्यादा खो जाता है कि वह ऐसे लघु व मध्यवर्ती परिवर्तनों को ध्यान में लाना ही भूल जाता है जो अंततः बड़े परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पी आर ए के हमारे अनुभवों ने हमें ऐसे लघु परिवर्तनों को ध्यान में लेना सिखाया है। बड़ौदा की झोंपड़पट्टी में विकलांगता के प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दिया और थोड़े प्रयास किए कि जहाँ पानी एक महत्व की समस्या थी वहाँ भी स्थानीय लोगों के मन पर इसका रचनात्मक प्रभाव पड़ा। उसके परिणाम स्वरूप उनके साथ हुई बातचीत के दौरान सामने आए मुद्दों को समझने में मदद मिली और बाद में इस क्षेत्र में आगे का काम करने में भी वह बात सहायक रही।

(५) सहभागिता का महत्व

सहभागिता का अर्थ दूसरे व्यक्ति को सुनना भी होता है, यह सच्चाई अब स्पष्ट हो गई और इसलिए व्यक्तिगत तथा व्यवसायी संबंध सुधारने में वह सहायक रही।

उपसंहार

जिन क्षेत्रों में विकलांगों को निष्कासित किया जाता है उन पर ध्यान केन्द्रित के लिये यह शोध अध्ययन हाथ में लिया गया था परंतु इसने ग्रामीण समुदाय में विद्यमान अन्य समस्याओं के विषय में भी समझ उत्पन्न की है। किसी खास परिस्थिति में समुदाय जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जिन कारणों से प्रकट करता है, उसे समझा गया है और उनके व्यवहार एवं भावों को भी समझा गया है। अतः समुदाय के अंदर के भेदभावों को समझने में उनका सामना करने में और रचनात्मक कार्य चालू रखने में भारी मदद मिली है।

इस अध्ययन से विकलांग लोगों को अपने घरों से बाहर आने का और समुदाय के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। उनके गाँव में विकलांगों की काफी बड़ी तादाद है, इसकी जानकारी भी ग्रामवासियों को हुई। इससे विकलांग लोगों की सुषुप्त शक्तियों की जानकारी भी सामान्य जनों को मिली। विकलांग लोग जो लघु और सफल प्रयत्न करते हैं वे सामान्यतया ध्यान में नहीं आते वे भी लोगों की नजर में आए। सहभागिता के परिणाम स्वरूप दलितों, स्त्रियों और अल्पसंख्यक समूहों जैसे समाज के अन्य तिरस्कृत वर्गों को भी इस प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला।

इस प्रकार, सहभागी शोध के अनुभव से मात्र शोध का प्रयोजन ही पूरा नहीं हुआ, वरन् सहभागिता के संदर्भ में व्यक्ति एवं व्यवसायी अभिगम का रचनात्मक विकास भी उससे हुआ है। निरंतर ऐसा समझा गया कि सहभागिता का अर्थ सिर्फ लोगों की उपस्थिति ही नहीं, वरन् कार्य में उनका सकारात्मक या नकारात्मक योगदान भी है। मात्रा मौखिक या लिखित आवेदन ही महत्वपूर्ण नहीं, परंतु शारीरिक हावभाव भी सहभागिता के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सहभागिता के अभिगमों की समझ विकसित करने में और उन्हें व्यवहार में उपयोग में लाने में ऐसी चीज बहुत महत्वपूर्ण थी।

नोटः जिन्होंने इस शोध हेतु पीआरए को सहयोग दिया है वे इस प्रकार हैं: 'उन्नति' की सुश्री गीता शर्मा और सुश्री स्वाति सिन्हा, 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' की सुश्री अर्चना श्रीवास्तव, 'साथ चेरिटेबल ट्रस्ट' की सुश्री किरण बी. परमार और श्री मानसिंह मौर्य, 'रूरल डेवलपमैन्ट सोसायटी' के श्री प्रकाश बी. परमार, 'विनोबा भावे सेवा संसाथान' के श्री विनोद ब्रह्मभट्ट और 'लोकसेवा युवा ट्रस्ट' के श्री शंकरभाई वणकर।

पृष्ठ 22 का शेष भाग

कुछ नफा या अधिशेष हो तो उसका उपयोग सदस्यों के बीच बांटने में न किया बल्कि जाए संस्थाओं के लिए ही हो तो उस राशि को आय कर से पूरी तरह छूट दी जानी चाहिए। इसी भाँति जहाँ लागू हो वहां धारा 44 (ए.बी.) के अधीन इन प्रवृत्तियों को निश्चित रूप से मुक्ति मिलनी ही चाहिए।

1.7 पूंजी लाभ

पूंजी लाभ के अधीन स्वैच्छिक संगठनों को निश्चित और सम्पूर्ण छूट मिलनी चाहिए और आय की प्रवृत्तियों हेतु भी उन्हें इस अधिशेष का उपयोग करने की मंजूरी मिलनी चाहिए।

1.8 स्त्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.)

अनेक स्वैच्छिक संगठनों ने कम खर्चीली टैक्नोलोजी का उपयोग करके ग्रामीण गरीबों हेतु गृह निर्माण की प्रवृत्ति हाथ में ली है। यह खर्च में बचत करने वाली है। अधिकांश मामलों कांट्रेक्टर टी.डी.एस. हेतु सहमत नहीं होते। अतः यह व्यवस्था ऐसी प्रवृत्तियों के हित के खिलाफ काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी प्रवृत्तियों के लिए टी.डी.एस. के अधीन निश्चित रूप से छूट दी जानी चाहिए।

1.9 छूट देना

80 (जी) और 35 (ए.बी.) के अधीन छूट देने के मामले में बहुत विलंब होता है। यह जरूरी है कि छह माह की समयावधि में यह छूट दी जाने वाली निश्चित प्रशासनिक सूचनाएं दी जाएं।

1.10 पूंजी संचय

पहले स्वैच्छिक संगठनों को उनका आय का 25 प्रतिशत संचय (एक्युमुलेशन) करने की छूट दी गई थी। उसे गत वर्ष बजट में घटा कर 15 प्रतिशत किया गया था। स्वैच्छिक संगठनों को पूर्व में जो लाभ मिलता था वह पुनः दिया जाना चाहिए और उन्हें 25 प्रतिशत पूंजी संचय की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

सार्वजनिक सुनवाईः पर्यावरण संरक्षण का नाटक - केरल का अनुभव

किसी भी औद्योगिक परियोजना की स्थापना से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन हो और उनके निवारण के उपाय सोचे जाएं, इसके लिए तथा लोगों की उसमें सहभागिता बढ़े, इस उद्देश्य से सार्वजनिक सुनवाई की कानूनी व्यवस्था की हुई है। परंतु देश भर में ज्यादातर ऐसी सार्वजनिक सुनवाइयां ढोंग और नाटक भर बन रही हैं। इस संदर्भ में केरल का एक अनुभव यहाँ दिया जा रहा है।

प्रस्तावना

भारत में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच का झगड़ा समय से तीव्र हो गया है। ऐसा स्वीकार किया गया है कि आर्थिक विकास पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ होना चाहिए। भारत में इसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इनमें से एक व्यवस्था सार्वजनिक सुनवाई की है। इस सार्वजनिक सुनवाई का उद्देश्य यह है कि कोई भी औद्योगिक परियोजना स्थापित करनी हो तो उसका पर्यावरण की दृष्टि से मूल्यांकन हो और यह मूल्यांकन लोगों के सामने प्रस्तुत हो तथा लोग भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। याने उद्योग वास्तव में स्थापित हों उससे पूर्व यह सार्वजनिक सुनवाई होनी ही चाहिए।

यह सार्वजनिक सुनवाई वास्तव में सार्वजनिक सुनवाई बनाई जानी चाहिए। इसका इरादा यह है कि इसमें सभी हितैषी शामिल हों और पर्यावरण संरक्षण हेतु चिंता व्यक्त करें। सामान्यतया अभी तक जैसा होता था उसी तरह उद्योग आज भी इस व्यवस्था के होते हुए पर्यावरण की चिंता नहीं करते। ऐसा लगे बिना नहीं रहता सार्वजनिक सुनवाई मानो खाना पूरी करने हेतु होती हो।

73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों और पालिकाओं को तीसरे दर्जे की सरकार बना दिया गया है तथा सार्वजनिक सुनवाई संबंधी व्यवस्था में इनकी वाणी को प्रतिनिधित्व मिले, ऐसी व्वस्था की गई है, इसके बावजूद ज्यादातर इनको उपेक्षित ही किया जाता है। संबंधित राज्यों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानो उद्योगों हेतु काम न करता हो! वास्तव में ऐसे में ऐसे बोर्ड के अस्तित्व के औचित्य पर ही आधारभूत प्रश्न खड़े होते हैं। इस तरह यह सार्वजनिक सुनवाई किस तरह ढोंग बन गया है इसका एक उदाहरण केरल का है।

केरल में 'साइलेंट वेली एच ई पी' प्रोजेक्ट क्रियान्वित होना है। ऐसी आशंका है कि यह प्रोजेक्ट 'साइलेंट वेली नेशनल पार्क' पर प्रतिकूल असर डालेगा। पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का यह क्षेत्र नीलगिरि से छाया हुआ है और वह सघन बनों से आच्छादित है। वहां पर जो 'पत्र क्कादावु एच ई पी' प्रोजेक्ट निर्मित हो रहा है उस संदर्भ में 21.5.2004 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी। यह सार्वजनिक सुनवाई वस्तुतः जिस तरह आयोजित की गई उसका घटनाक्रम यहां दिया जा रहा है।

सार्वजनिक सुनवाई का घटनाक्रम

सुबह 10.00 बजे

नियत स्थान पर लोग सुनवाई के लिए इकट्ठे होने लगे। चेरु मकुलम शाला की कक्षा के एक छोटे से कक्ष में शायद ही 50 लोग बैठ सकते हों ऐसा था।

सुबह 11.00 बजे

यह छोटा-सा कक्ष लोगों से भर गया था। जितने लोग कक्ष के अंदर थे, उससे कहीं ज्यादा लोग कक्ष के बाहर थे। लगभग 500 लोग कक्ष के बाहर थे, और उनमें निचले आवासीय क्षेत्रों के लोग, वैज्ञानिक, पर्यावरण समूह के और सामाजिक आंदोलनों तथा मानवाधिकार समूह के कार्यकर्ता आदि सम्मिलित थे। समग्र केरल से लोग वहां आए थे। स्थानीय विधानसभा सदस्य ने माइक हाथ में लिया और उसने घोषणा की कि मात्र मन्नारक्कड़ और कुमारमपुथुर पंचायतों के लोग ही सार्वजनिक सुनवाई में हाजिर रह सकते हैं,

शेष सभी लोगों को वह स्थान खाली करके चले जाना चाहिए क्योंकि कार्यवाही व्यवस्था भंग होती है। फौरन कक्ष के अंदर जो विविध समूहों के लोग बैठे थे उनको नारों के बीच बाहर निकाल दिया गया।

सबह 11.45 बजे

विविध समूहों के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों से मिले और उन्होंने अनुरोध किया कि सुनवाई कक्ष से बाहर रखी जाए तो उत्तम रहे ताकि वह सभी लोगों के लिए अनुकूल रहे और वे पर्यावरण प्रभाव-मूल्यांकन (ई.आइ.ए.) के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई में भाग ले सकें। समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद समिति के अध्यक्ष स्थान बदलने को सहमत हुए। हालांकि उसके लिए भी गरमागरम चर्चा हुई थी और उनकी अप्रसन्नता दिखाई दे रही थी। वैसे केरल राज्य विद्युत बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन दल की प्रस्तुति पूरी हो जाने के बाद ही इसके लिए सहमति दी गई। इसी दौरान स्थानीय ग्रामवासी होने का दावा करने वाले कई शराब पीये लोगों ने कक्ष के बाहर वाले लोगों के साथ सीधी धमाचौकड़ी शुरू कर दी और वे मांग करने लगे कि सभी लोग चले जाएं। आमने-सामने दलीलबाजी और नारे चलते रहे और केरल राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारी देखते रहे।

सुबह 11.20 बजे

सार्वजनिक सुनवाई शुरू हुई। केरल राज्य विद्युत बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आइ.ई) के दल को प्रतिक्रिया हेतु 30 मिनट दिए गए। परियोजना का विरोध करने वाले जो लोग बोलना चाहते थे उन्हें कक्ष के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया, उन्हें अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करने हेतु अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस सारा तमाशा देखती रही। एक घंटे तक वह प्रतिक्रिया चली।

दोपहर 12.20 बजे

पहले दिये गये वचन के मुताबिक नहीं हुआ। स्थान नहीं बदला गया और समिति ने लोगों को निमंत्रण दिया। परियोजना का विरोध करने वाले लोगों को भी बोलने दिया जाएगा, ऐसी समिति ने घोषणा की कि तत्काल तथाकथित 'स्थानीय ग्रामजनों' ने शोरगुल मचाया। करेल के अलग-अलग भागों से परियोजना का विरोध करने वाले 43 व्यक्तियों की सूची समिति को सौंपी गई। परियोजना के पक्ष में थोड़े लोग बोल गए, तब परियोजना का विरोध करने वाले प्रथम वक्ता ने बोलना शुरू किया। लोगों ने अंधाधुंध नारे लगाये और किसी ने उसके हाथ से माइक छीन लिया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और लोगों को अंकुश में लिया। समिति के लोग उस धमाचौकड़ी को देखते रहे। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरे वक्ता को भी बोलने देने के बाद समिति ने विख्यात कवि सुश्री सुगता कुमारी को बोलने के लिए आमंत्रित किया। वे 1970 के दशक में 'शांत घाटी बचाओ आंदोलन' में सक्रिय रूप से शामिल थी। समूह ने फिर से एक बार शोरशराबा किया और मंच पर जा चढ़ा और उनको परियोजना के विरोध में नहीं बोलने दिया गया।

दोपहर 12.45 बजे

केरल के एक सांस्कृतिक नेता का इस तरह अपमान होने के बाद जिला कलेक्टर प्रविष्ट हुए। कलेक्टर स्वयं समिति के सदस्य थे, इसके बावजूद उन्होंने उप-कलेक्टर को भेजा था। सुश्री सुगता कुमारी को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करने दिया गया और उन्हें पुलिस संरक्षण में कक्ष से बाहर ले आया गया। वाणी-स्वातंत्र्य के अधिकार के भंग की वजह से कलेक्टर को शिकायत की गई। कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया की और समिति के अध्यक्ष को परियोजना का विरोध करने वाले लोगों को भी बोलने देने को कहा। अध्यक्ष के मंच से बोलने वाले 43 लोगों की सूची गुम हो गई। कलेक्टर के द्वारा जिन तीन व्यक्तियों को परियोजना के विरोध में विचार व्यक्त करने हेतु निमंत्रित किया गया था। उनका कलेक्टर के सामने ही अपमान किया गया। उनके साथ गाली-गलौच किया गया।

दोपहर 1.00 बजे

जिला कलेक्टर हताश होकर वहाँ से चले गए।

दोपहर 1.30 बजे

परियोजना के पक्ष में कई प्रतिक्रियाएं फिर से एक बार होने दी गई, तदुपरांत समिति के अध्यक्ष ने सुनवाई ही बंद कर दी। यह

शेष पृष्ठ 15 पर

गतिविधियाँ

सनद और निर्माण कार्य सूचना मेला

'उन्नति' को भूकंप के बाद के पुनर्वास की प्रक्रिया के समन्वय के संदर्भ में ऐसा लगा कि निर्माण कार्य के उप-नियमों और जीएसडीएमए के मार्गदर्शक बिंदुओं, लिये जाने वाले पैसे और प्रक्रिया के मामले में स्पष्टता की जरूरत है ताकि अनुबंध विषयक कार्यवाही और नियमानुकूल कार्यवाही द्रुत गति से हो सके। इस संदर्भ में 17 जून, 2004 को सनद और निर्मांण कार्य सूचना मेला भचाऊ में 'नागरिक सहयोग केन्द्र' के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें 100 महिलाओं सहित लगभग 350 नागरिकों ने भाग लिया थी। कच्छ के जिला विकास अधिकारी श्री हरित शुक्ल तथा 'भाडा' के कार्य में शामिल तमाम गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी लोगों के प्रश्नों और उलझनों के सत्ताधिकारियों ने जवाब दिए। उनमें जो मुख्य मुद्दे उपस्थित हुए वे इस प्रकार हैं:

(1) जिनको झोंपड़े के लिए 7,000 रु. का मुआवजा मिला है उनको जमीन की नियमन के काम में समायोजित जाएगा। उनको जमीन का मूल्य चुकाना पड़ेगा और उनको 50 व. मी. जमीन दी जाएगी। 'उन्नति' ऐसे गरीब परिवारों के लिए निर्माण कार्य करेगी।

(2) लगभग 500 परिवारों को 55,000 रु. से कम मुआवजा प्राप्त हए हुआ। इस राशि में से जमीन का खर्च और मकान को फिर से मजबूत बनाने का खर्च निकाला नहीं जा सकता। सत्ताधिकारियों ने यों घोषित किया है कि मुआवजे की राशि बढ़ाकर इतनी की जाएगी। अब कानूनी रूप से जमीन नहीं रखने वाले 1767 परिवारों को भी मुआवजा मिलेगा।

(3) भेदभाव और अकेली महिलाओं संबंधी सवाल भी खड़े हुए। वे जमीन का खर्च चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। सत्ताधिकारियों ने उन्हें सहायता देने का भरोसा दिलाया।

(4) कई मामलों में अनेक परिवारों ने नई सड़कें बनने की वजह से अपने घर गंवाये हैं और उन्हें पैकेज के अनुसार मुआवजा नहीं मिला। 'भाडा' ने स्पष्टता की कि यदि ऐसे परिवार कानूनी मान्यता वाली जमीन पर जाएंगे तो और उनके पास के दस्तावेज होंगे तो उन्हें 55,000 रु. का मुआवजा प्राप्त होगा।

(5) अनेक लोगों ने ऐसी शिकायत की है कि उन्होंने जमीन के लिए पैसा चुका दिया है और उन्हें जमीन की सनद कब मिलेगी। सत्ताधिकारियों ने ऐसी सूचना दी है कि कलेक्टर ने सूची को मंजूर कर दिया है और तहसीलदार का कार्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर रहा है।

(6) कई लोगों ने पूछा है कि यदि वे बड़ा घर बनवाना चाहें तो उसे किस तरह नियमित किया जा सकता है। इस संदर्भ में ऐसी स्पष्टता की गई कि 'भाडा' और जी एस डी एम ए द्वारा निश्चित किए गए स्तर और कानूनों के अनुसार तो निर्माण कार्य होना ही चाहिए।

(7) सत्ताधिकारियों ने ऐसी घोषणा की कि जमीन का नियमन करने के लिए लगभग 300 मुस्लिम लाभार्थियों के लिए 'मुस्लिम राहत समिति' को 10,000 रु. चुकाने पडेंगे।

चलो, चलें स्कूल

'बाल संसद' नामक एक सामाजिक संगठन के द्वारा अहमदाबाद के गोमतीपुर के वीर भगतसिंह हॉल में 28 जून 2004 को 'चलो, चलें स्कूल' कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद पर गुजरात के राज्यपाल श्री कैलाशपति मिश्रा उपस्थित थे। इस संगठन में 24 शालाएं और 9 गैर-सरकारी संगठन सदस्य हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य धारा के शिक्षण में जो बालक अधबीच में ही शाला छोड़ देते हैं, उन्हें फिर से शाला में लाना था। 5 वर्ष से ऊपर के सभी बालक शाला में जाएं और शाला में टिके रहें यही इसका उद्देश्य रहा है। स्थानीय म्युनिसिपल शालाओं के बालकों ने इस कार्यक्रम में सोत्साह भाग लिया था। इसके उपरांत, स्थानीय विधायक और लगभग 24 म्युनिसिपल शालाओं के शिक्षकों तथा कोर्पोरेटरों ने कार्यक्रम को सफल बनाया था। 'मजदूर स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' के अध्यक्ष श्री हौसलाप्रसाद मिश्रा और 'जनपथ' श्री हरिणेश पंड्या आदि ने इस कार्यक्रम में आरंभ से ही रुचि ली थी।

अलग-अलग शालाओं के विद्यार्थियों ने अपने अनुभव दर्शाये थे। काम पर जाने वाले मजदूर भी उसमें हाजिर रहे थे और उन्होंने

अपनी समस्याएं प्रस्तुत की थी। बालिकाएं शाला में जाएं, इसके लिए खास प्रयत्न करना निश्चित किया गया था। बालकों हेतु शिक्षा का आधार तथा निरक्षरता निवारण तथा नागरिकों के शिक्षण आदि मुद्दों पर इस कार्यक्रम में बल दिया था।

बीजिंग +10: सिद्धियां और चुनौतियां

चीन में 1995 में बीजिंग में चौथी विश्व महिला परिषद सम्पन्न हुई थी। इस संदर्भ में एक दशक में क्या सिद्ध हुआ और क्या चुनौतियां हैं इसकी चर्चा की जा रही है। इसके लिए 'बीजिंग +10 – कार्य हेतु बीजिंग मंच की समीक्षा का दशक' के अधीन समीक्षा हो रही है। 1995 की परिषद में 189 देशों ने भाग लिया था और सरकारों ने 'कार्य हेतु मंच' (प्लेटफार्म फॉर एक्शन) को सहयोग दिया था।

मार्च 2005 में संयुक्त राष्ट्र (युनाइटेड नेशंस - यू एन) के 'महिला स्थिति आयोग' की बैठक हो रही है और तब बीजिंग घोषणा के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाएगा। बीजिंग परिषद के पाँच वर्षों बाद 'संयुक्त राष्ट्र' की सामान्य सभा की जो 23वीं बैठक मिली थी उसके निर्णयों के विषय में भी चर्चा होगी।

महिलाओं और लड़कियों की सक्षमता व प्रगति संबंधी व्यूह रचना और वर्तमान चुनौतियाँ इस चर्चा के मुख्य मुद्दें हैं। इस बारे में भारत में एक राष्ट्रीय विमर्श सभा आयोजित हो चुकी है। उसमें 80 सहभागी हाजिर थे। उसमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई थी:

(1) वैश्वीकरण के कारण महिलाओं और पिछड़ गए लोगों के बुनियादी अधिकारों से इनकार।
(2) निजीकरण और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप महिलाओं की औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ गति। महिलाओं की काम की गति में कमी और काम के स्थान पर निरंतर बढ़ती हिंसा।
(3) अवसरों के अभाव और राज्य के दमन की वजह से सक्षम महिलाएं मूल से उखड़ रही हैं।
(4) सशस्त्र संघर्ष, कौमी तनाव, जातीय संघर्ष जैसी संघर्ष की स्थिति और उसमें गंभीरता बढ़ी है।
(5) संघर्षों, जोखिमों एवं स्थलांतरण के कारण आंतरिक स्थलांतरण और विस्थापन से उभरती गरीबी, बेकारी, भुखमरी और अस्वास्थ्य। पानी, आवास और शिक्षण के मूलभूत अधिकारों से इन्कार।
(6) महिलाओं की क्षमस्याओं विषयक सूचना पर देखरेख की सूचना का अभाव।
(7) स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं का व्यापारीकरण और निजीकरण होने से गरीबों की पहुँच से बाहर।
(8) स्त्री भ्रूण हत्या, एसिड फेंकने, सामूहिक बलात्कार, उसे डाकिन बनाने जैसे स्वरूपों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि।
(9) मानवाधिकारों को भोग पाने के संदर्भ में महिलाओं की असहायता।
(10) भारत सरकार के वचनों के क्रियान्वयन का तंत्र गठित करना और उस पर नजर रखना।

भावी कार्यक्रम

स्वास्थ्य संभाल के अधिकारों के बारे में सार्वजनिक सुनवाई

स्वास्थ्य संभाल के अधिकार को बुनियादी मानवाधिकार माना जाए, इसके लिए 'जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है। सन् 2000 में विविध गैर-सरकारी संगठन, कार्यकर्ता, व्यक्ति, व्यवसायी और विशेषज्ञ इस अभियान के भाग स्वरूप इकट्ठे हुए। इस विषय के बारे में नवंबर 2000 में राज्य स्तर पर एक जन स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई थी। उसमें इस सवाल पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। 2000 वर्ष तक 'सबके लिए स्वास्थ्य' का ध्येय सिद्ध करने में जो असफलता मिली है उसके कारणों की भी उसमें छानबीन की गई थी।

'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (एन.एच.आर.सी) 'जन स्वास्थ्य अभियान के साथ सहयोग में देश के पाँच प्रदेशों में स्वास्थ्य संभाल के अधिकार के बारे में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित कर रहा हैं। अंत में दिल्ली में इसकी राष्ट्रीय सुनवाई आयोजित की जाएगी। पश्चिम भारत की ऐसी सुनवाई 29 जुलाई 2004 को भोपाल में आयोजित की जाएगी। उसमें महाराष्ट्र, गोवा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों की स्थिति के बारे में प्रस्तुतियाँ होंगी। ऐसी अपेक्षा है कि सुनवाई के दौरान प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य सचिव उपस्थित रहें और संबंधित राज्य की प्रस्तुतियों के संदर्भ में अपना प्रत्युत्तर दें।'

गुजरात में अनेक संगठन इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। यह प्रक्रिया निम्नानुसार रही है:

- ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण जिनमें स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से मना करने पर मृत्यु, शारीरिक क्षति या आर्थिक नुकसान हुआ हो।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्रों, आँगनवाड़ी आदि की स्थिति का विवरण तैयार करना।
- 3 जून 2004 को पंचमहाल और दाहोद के मामलों की जन सुनवाई देवगढ़ बारिया में आयोजित की गई।
- राज्य की स्वास्थ्य नीति और आधारभूत वास्तविकता के बारे में प्रस्तुति।

उपर्युक्त सुनवाई में प्रत्येक राज्य में से 10 मामले प्रस्तुत होंगे और प्रत्येक राज्य में से निरीक्षक होंगे। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क साधें: email. neetahardikar@rediffmail.com

स्वैच्छिक संस्थाओं में संस्था संचालन विषय पर प्रशिक्षण

'सहभागी शिक्षण केन्द्र' क्षेत्रीय तथा ग्रामस्तरीय स्वैच्छिक विकास संगठनों एवं उनके कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि हेतु अल्प एवं दीर्घ कालीन शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। क्षमता वृद्धि के आयोजनों के उपरांत स्वैच्छिक संगठनों के संगठनात्मक विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों के शैक्षिक सहयोग देना केन्द्र का कार्य है। विगत कई दशकों में स्वैच्छिक संस्थाओं की हाजरी, उनकी कार्य-पद्धति, स्वरूप, पहचान, सिद्धांतों, आदि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रही है। संस्थाओं की बढ़ती पहचान उपलब्ध संसाधनों, चुनौतियों तथा प्रकारों में आए परिवर्तनों की वजह से आज प्रत्येक स्तर पर संस्थागत संचालन की बात की जाती है और इसकी अनिवार्यता प्रतीत होती है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्था संचालन के बारे में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 9 से 13 अगस्त 2004 के मध्य लखनऊ सहभागी शिक्षण केन्द्र में किया गया है। 15 जुलाई 2004 तक उसका पंजीकरण पत्र भरकर भेजा जाए। 'पहले वाले को पहले' के आधार उसमें प्रवेश मिलेगा। सम्पर्क: 'सहभागी शिक्षण केन्द्र,' सहभागी रोड, पुलिस फायर स्टेशन के पीछे, छठी मील, सीतापुर रोड, लखनऊ-227008 फोन: 05212-2980004-6, 291299, फैक्स 05212- 298003, ईमेल: info@sabhagi.org

वैश्विक लोकतंत्र: सभ्य समाज - दृष्टि और व्यूह रचनाएं

'मांट्रियल इंटरनेशनल फोरम' द्वारा उपर्युक्त विषय को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन 29 मई 2005 से 1 जून 2005 दौरान किया गया है। यह परिषद वैश्विक शासन 2005 के रूप से पहचानी जाएगी। 'मांट्रियल इंटरनेशनल फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।

इसका प्रभाव उद्देश्य बहुपक्षीय संस्थाओं पर सभ्य समाज और उसके कर्ताओं का प्रभाव बढ़ाना है। यह संगठन यह चिंतन करने का अवसर देता है कि सभ्य समाज और बहुपक्षीय व्यवस्था के मध्य संवाद बढ़े तथा सक्रिय रूप से परस्पर शिक्षा प्राप्त हो।
उपर्युक्त परिषद के तीन प्रयोजन हैं:

(1) वैश्विक लोकतंत्र के बारे में विविध दृष्टियों की अभिव्यक्ति करना।
(2) वैश्विक लोकतंत्र सिद्ध करने हेतु जरूरी व्यावहारिक व्यूहरचनाओं को पहचानना और उनकी प्राथमिकता तय करना।
(3) वैश्विक लोकतंत्र सिद्ध करने के साझे प्रयासों को मजबूत करने का रुझान ग्रहण करना।

इस परिषद में 700 सहभागियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें निम्न मुद्दों पर चर्चा होगी:
(1) सभ्य समाज और नागरिक भागीदारी अवसर और दायित्व। (2) अंतर्राष्ट्रीय संधियों की श्रेणियां: मूल्यों की श्रेणियां (3) सरकारें प्रदेश, प्रादेशिक समूह: सभ्य समाज की भागीदारी, बदलती प्रादेशिक प्राथमिकताएं (4) सांस्कृतिक पहचान और नागरिकत्व: वैश्विक एकता में विविधता का संरक्षण (5) वैश्विक सुरक्षा: लोकतंत्र के समक्ष खतरा? (6) वैश्विक अर्थतंत्र का संचालन: मुक्त व्यवस्था या लोकतंत्र के ढंग पर नियमन?

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क साधें:
ग्लोबल गवर्नेन्स 2005, मांट्रियल इंटरनेशनल फोरम, 407, रु. मेकगिल, ब्यूरो 800, मांट्रियल, क्यूबेक, कनाडा-एयर वाय 2 जी 3. फोन 514-491- 9468, ईमेल: g05@fimcivilsociety.org

संदर्भ सामग्री

नगरपालिका मार्गदर्शिका

74वें संविधान संशोधन ने भारत में पालिकाओं को शहरी स्वशासन की संस्था बना दिया है। पालिकाओं को स्थानीय स्वशासन की शहरी संस्थाओं के रूप में मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी रहेगी। 74वें संविधान संशोधन के बाद 1993 के गुजरात अधिनियम नं. 17 और 1994 के अधिनियम नं. 15 गुजरात नगरपालिका अधिनियम 1963 में कई सुधार किये गए हैं। इन सुधारों समेत सभी 28 सुधारों की बातों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। पुस्तक में तीन विभाग हैं: (1) नगरपालिका अधिनियम 1963 की विविध व्यवस्थाएं और आनुषंगिक बातों के विषय में मार्गदर्शन (2) पालिका या पंचायत के उम्मीदवारों, पदाधिकारियों, अधिकारियों कर्मचारियों और जागरूक नागरिक तथा शहर की संस्थाओं संबंधी जानकारी (3) अन्य जानकारी।

प्रथम विभाग में शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का संक्षिप्त इतिहास और 74वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण मुद्दे देते हुए नगरपालिका की रचना और उसके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। उसमें सदस्य पद की योग्यता और अयोग्यता, नगरपालिका की रचना, आरक्षण, अवधि, नगरपालिका की सत्ताओं, समितियों, संसाधनों और सम्पत्ति, अनुदान, बजट, खर्च और आडिट, सभा संचालन, पदाधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों की सूचनाओं का समावेश है। दूसरे विभाग में शहरी विभाग की विविध योजनाओं की सूचना दी गई है। इसमें वाजपेयी नगर विकास योजना, सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वच्छ नगर योजना आदि का समावेश है। इसके उपरांत इस विभाग में नगरपालिका या नगर पंचायत के प्रशासन में उपयोगी कई सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं का परिचय दिया गया है। इसमें शहरी विकास और शहरी गृह निर्णाण विभाग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, नगरपालिका कार्यालय के निदेशक, गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड, गुजरात नगरपालिका परिषद आदि का समावेश है। तीसरे विभाग में शहरी स्वशासन हेतु उपयोगी अन्य सूचनाएं दी गई हैं। इसमें नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक सुविधा केन्द्र नगर, पालिका अधिनियम के अधीन घोषित नियम एवं सूचनाओं, नागरिक सूरक्षा, कचरा निष्कासन पद्धति आदि के बारे में सूचनाएं समाविष्ट हैं। नगरपालिका में प्रतिनिधि बनने वाले लोगों, सामान्य नगरजनों तथा शहरी स्वशासन क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों सबके लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी हैं। लेखक: श्री रमेश म. शाह और सुरेशचन्द्र बी. सोनी। प्रकाशक: आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑव् लोकल सेल्फ गवर्नमैंट, विद्यागौरी नीलकंठ मार्ग, खानपुर, अहमदाबाद-1, फोन: 25601296 फैक्स: 2560 1835, पृष्ठ 156 मूल्य 100 रु.

न्याय के तराजू में महिलाएं

इस पुस्तिका में महिलाओं के कानूनी अधिकारों और उनकी शिकायतों के निवारण की व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसके प्रकरण इस प्रकार हैं:

(1) महिलाओं के अत्याचार विरोधी हक
(2) महिलाओं से संबंधित पुलिस संबंधी अधिकार
(3) महिला अत्याचार के असामान्य मामलों में कानूनी प्रभाविता के लिए सलाहकार की तैयारी
(4) स्त्रियों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकार
(5) कई कानूनी शब्दों की सरल समझ।

प्रथम प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में अलग-अलग धाराओं के अनुसार स्त्रियों के क्या अधिकार हैं। उसमें यह जानकारी गई है कि दहेज मृत्यु, आत्म हत्या का दुष्प्रेरण, गर्भपात, स्त्री की आबरू लेने के इरादे से उस पर हमला करने, विवाह करने की इच्छा से अपहरण करने, वेश्यावृत्ति हेतु नाबालिग बालिका को बेचने, बलात्कार, अपराध की शिकार बनी व्यक्ति की पहचान, फिर से विवाह, कपट विवाह, स्त्री की लाज लेने के इरादे से उच्चरित शब्दों या चेष्टा या कृत्य आदि के संदर्भ में

गुनहगार को क्या सजा हो सकती है। कहीं स्पष्टीकरण एवं ब्यौरे द्वारा खुलासा भी किया गया है और कहीं अन्य कई कानूनों के अधीन जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। दूसरे प्रकरण में फौजदारी कार्यवाही अधिनियम - 1973 के अंतर्गत धरपकड़, जमानत, पुलिस, कस्टडी आदि के विषय में जानकारी दी गई है और शिकायत दर्ज करने के बारे में क्या कार्यवाही हो सकती हैं और कैसे हो सकती है इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा फौजदारी कार्यवाही अधिनियम 1973 के अनुसार सर्च वारंट और अपहृत महिला को वापिस सौंपने की कार्यवाही के विषय में व्यवस्थाओं का विवरण दिया गया है। तीसरे प्रकरण में स्वतंत्र रूप से या स्वैच्छिक संस्थाओं में स्त्रियों के अत्याचारों के मामलों के संदर्भ में जो सलाहकार काम करते हैं, उन्हें किस तरह तैयार होना चाहिए, इस बारे में की छानबीन की गई है। इसमें पुलिस तंत्र का ढांचा कैसा है, इसकी समझ दी गई है और साथ ही साथ शिकायत विषयक कार्यवाही किस तरह हाथ में ली जाए, इस बात का भी वर्णन किया गया है। तीसरे प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम पर्सनल ला - 1937 के अधीन स्त्रियों को उत्तराधिकार के मामले में जो-जो से अधिकार हैं उन्हें समझाया गया है। इन कानूनी व्यवस्थाओं में स्त्री-पुरुष समानता की दृष्टि से जो कमियाँ हैं उन्हें भी बताया गया है। चौथे प्रकरण में पाँच कानूनी शब्दों की समझ बताई गई है: कोग्निजेबल अपराध, नोन-कोग्निजेबल अपराध, जमानत के योग्य अपराध, गैर-जमानती अपराध और दोनों में से कोई एक तरह की सजा। स्त्रियों के अधिकारों और कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और संगठनों के लिए यह पुस्तिका बहुत उपयोगी है। लेखक: सुश्री सोफिया खान, प्रकाशन: विकास अध्ययन केन्द्र, मुंबई. ईमेल: vak@bom.3.vsnl.net.in पृष्ठ: 34

पंचायत के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य पुस्तिका

पंचायतें 73वें संविधान संशोधन से तीसरे स्तर की सरकार बन गई हैं। उनको विधान में दर्ज 11वीं अनुसूची के अधीन दिए गए कामों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्था का काम सौंपा गया है। यह पुस्तक इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है कि वे यह काम वे कैसे कर सकती हैं और करना चाहिए। इस पुस्तक का उद्देश्य पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधियों की और स्वैच्छिक संस्थाओं की स्वास्थ्य की समझ बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उठा कर पंचायतें स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा करें, इसके लिए उन्हें सजग करना है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य कर्मचारियों, स्वास्थ्य सहायकों आदि की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका ब्यौरा भी यहां दिया गया है। इस जानकारी को अग्रांकित में बांटा गया है: (1) सामुदायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और पंचायती राज। (2) पंचायत और सेवाभावी संस्थाएं। (3) ग्राम स्तर की स्वास्थ्य योजनाएं। (4) गाँवों में स्वास्थ्य रक्षक प्रणाली (5) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। (6) वातावरण की शुद्धता। (7) सामान्य बीमारियां (8) अच्छे स्वास्थ्य हेतु पौष्टिक भोजन।
संयोजिका: सुश्री निलीना मित्र, संपादक: सुश्री चारु आनंद, श्री अमरसिंह सचान, प्रकाशक: वोलंटरी हैल्थ एसोसियेशन ऑव् इंडिया, टोंग स्वास्थ्य भवन, 40 इंस्टीट्यूशनल एरिया, कुतुब होटल के पास, नई दिल्ली 110016, पृष्ठ 170.

आधी दुनिया का पूर्ण सत्य

इस पुस्तिका में लेखिका को मानवाधिकार क्षेत्र की कार्यकर्त्री के रूप में समाज में महिला को लेकर जो चुभन महसूस हुई है उसे यहां शब्दबद्ध करने का प्रयास किया गया है। लेखिका की ऐसी अपेक्षा है कि 'हम जहां हैं वहां से स्त्री-पुरुष सामाजिक समानता की दिशा में क्या कर सकते हैं यह सोचें और क्रियान्वयन कर डालें। सामने वाले व्यक्ति को स्त्री या पुरुष के चौखटे में रखकर उस तरह व्यवहार करने के बजाय मनुष्य सहज रीति से उसे देखने, जानने व समझने का प्रयत्न करे'। प्रथम प्रकरण का शीर्षक हैं 'क्या स्त्रियाँ अभी भी गुलाम हैं?'

माता-पिता बेटे-बेटी के प्रति उनके जन्म से ही जो भेदभाव रखते हैं उसकी चर्चा करते हुए लेखिका ने इस प्रकरण में महिलाओं को पूरे जीवन काल के दौरान जो सहन करना पड़ता है उसकी चर्चा की है। दूसरा प्रकरण है: 'क्या स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है? नहीं।' यहां मां-बेटी, सास-बहू, पुरुष की पत्नी और प्रेमिका आदि संबंधों में स्त्री किस तरह स्त्री की दुश्मन नहीं है इसकी बात की है। प्रकरण के अंतिम भाग में कई पूर्वाग्रहों की चर्चा की गई है। उसमे स्त्री की चर्चा के विषय कपड़े-आभूषण हों, लड़की ही रोती है लड़का तो रोता ही नहीं जैसी पूर्वाग्रहयुक्त बातों की चर्चा की गई है।

तीसरा प्रकरण है: 'यौन शोषण - स्त्री के गौरवमय अस्तित्व का अस्वीकार।' लेखिका ने यहां स्त्रियों के यौन शोषण के सवाल का कानूनी और सामाजिक दो दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया है। बलात्कार, छेड़छाड़ और अत्याचार जैसे मामले में स्त्री का ही दोष क्यों निकाला जाता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। भारतीय दंड संहिता में अलग-अलग धाराओं में जिन यौन अपराधों का जो उल्लेख किया गया है उनका ब्यौरा भी यहां दिया गया है। सर्वोच्च न्यायलय के 1997 के फैसले में यौन अपराधों के विषय में जो व्याख्या दी गई है उसकी भी इसमें छानबीन की गई है। पुस्तिका में अंत में लिखिका ने समाजीकरण की प्रक्रिया को बदलने का आह्वान किया है। उसने इसके लिए पाँच प्रश्न पूछे हैं और उनके उत्तर दिए हैं: (1) क्या बेटी दूसरों की अमानत है? - बेटी हमारी बेटी है। (2) क्या बेटी के जीवन का लक्ष्य विवाह हैं? – नहीं, परिपूर्ण व्यक्तित्व। (3) क्या सहनशीलता सदगुण है? – गलत, अनुकूलन की बातें करें (4) क्या बेटी ससुराल में ही शोभा पाती है? – बेटी सम्मान के साथ जहां जीती है, वहीं शोभा पाती है। (5) क्या पति परमेश्वर हैं? – पति मित्र/ साथी हो। स्त्री-पुरुष समानता लाने हेतु आधारभूत मुद्दों की चर्चा इस पुस्तक में की गई है और सामाजिक दृष्टिकोण बदलने पर इसमें बल दिया गया है। मूलभूत सवाल खड़े करके लेखिका ने सबको झकझोरने का प्रयास किया है।

लेखिका: सुश्री सोफिया खान, प्रकाशक: विकास अध्ययन केन्द्र, डी.7, शिवधाम, 62 लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई–64, ई-मेल: vak@bom3.vsnl.net.in

पृष्ठ 40 का शेष भाग

संबंधित अन्य मुद्दों के विषय में उनके समक्ष प्रस्तुत की गई। इस दल ने जी एस डी एम ए और सत्ता वालों के सहयोग से स्थापित टैक्नोलोजी पार्क 'नागरिक संदर्भ केन्द्र' से सम्पर्क भी किया था।

- 'भाडा' के सहयोग से भचाऊ में 'सनद और निर्माण कार्य मजूरी मेला' आयोजित किया गया। उसमें भूमि को नियमित करने हेतु की तथा घरों को पुन: मजबूत बनाने की प्रक्रिया तथा कानूनी मुद्दों के विषय में सरल शब्दों में निवेदन किया गया। उस सूचना का प्रचार-प्रसार करने का एक कार्यक्रम था। उसमें 400 लोगों से सीधे ही सत्ता वालों ने जमीन के हक के कागजों और मुआवजे के विषय में प्रश्न पूछे।
- 'प्रयास' और 'कोहेजन' के सहयोग से 'डिजास्टर प्रिपेर्डनेस रेस्पोंस ग्रुप' के तत्वावधान में कच्छ के गैर-सरकारी संगठनों हेतु जी.एस.डी.एम.ए. और यू.एन.डी.पी. द्वारा चलती विपत्ति के सामने की तैयारी को समझने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और कई गाँवों में से संस्थाएं साथ मिलकर किस तरह काम कर सकती हैं, इसे खोजा गया।
- कांडला बंदरगाह के अधिकारियों के द्वारा 700 परिवारों को जो अत्यंत अल्प आवासीय सुविधा दी जा रही है, उन्हें पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक संभावना अध्ययन हाथ में लिया गया है। उसके द्वारा इस समुदाय की पानी की समस्या का समाधान होगा।

(3) 'चरखा' की प्रवृत्तियाँ

- पिछले तीन माह के दौरान गुजरात में सरपंचों और तहसील पंचायत के सदस्यों जैसे महिला नेताओं के कार्यों पर आधारित 12 लेख प्रकाशित हुए हैं। उसमें उन्होंने पेय जल और पर्यावरण की समस्याएं दूर करने हेतु किये गए प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया था। उसमें से 9 लेख कार्यकर्ताओं ने तैयार किये थे। 7 जिलों के 13 गैर-सरकारी संगठनों के 16 कार्यकर्ताओं हेतु तीन दिनों की एक उच्च कौशल कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें सम्पर्क करने, रेखाचित्र तैयार करने, किसी विषय पर लेख, अखबारी निवेदन तैयार करने और माध्यमों हेतु व्यूह रचनाओं जैसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा साबरमती के किनारे के पर्यावरण के विषय में पत्रकारों के साथ बातचीत आयोजित की गई। ग्राम विकास विभाग की हरियाली परियोजना हेतु तथा 'गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी' के 'प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट' हेतु लेखन कौशल कार्यशालाएं आयोजित की गई। 'आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम', 'अभियान' और 'उन्नति' (ग्रामीण व शहरी शासन दोनों) को समाचार पत्रों के प्रकाशन हेतु संपादन सहायता उपलब्ध कराई गई।

इन तीन महीनों में हमने निम्नानुसार प्रवृत्तियां हाथ में ली थी:

(1) सामाजिक समाावेश और सक्षमता

- **'मुख्य धारा में स्त्री-पुरुष' समानता के सवालों' के विषय में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण**
  गुजरात के राज्य स्तरीय 'जेंडर रिसोर्स सेंटर' हेतु 'मुख्य प्रवाह में स्त्री-पुरुष समानता के प्रश्नों' के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दो चरणों में आयोजित किया गया। अहमदाबाद में वह 26 से 30 अप्रैल 2004 के मध्य और सुरेन्द्रनगर जिले में सायला में 21 से 25 जून, 2004 के मध्य आयोजित किया गया। 'जेंडर रिसोर्स सेन्टर' (जीआरसी) 'यूनाइटेड नेशंस पोपुलेशन फंड' (यूएनएफपीए) के सहयोग से गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था है। इस प्रशिक्षण के प्रयोजन इस प्रकार थे: (1) महत्त्वपूर्ण विकास क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष समानता के विचार के उपयोग को लेकर सहभागियों की क्षमता बढ़ाना। (2) स्थानीय स्तर पर मुख्य धारा में स्त्री-पुरुष समानता के प्रश्नों के प्रति ध्यान देने हेतु प्रशिक्षण को उचित पद्धतियों का उपयोग करने हेतु सहभागियों को सुसज्जित करना। (3) स्त्री-पुरुष भेदभाव की दृष्टि से आयोजन, देखने और मूल्यांकन की प्रवृत्तियों हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सतत मदद देने के लिए संसाधनों का ढेर लगाना। प्रशिक्षण के दोनों चरणों के दौरान निम्न प्रकार के विषयों को समेटा गया था: स्त्री-पुरुष भेदभाव का विचार, पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था, महिला आंदोलन का इतिहास, स्त्री-पुरुष समानता की दृष्टि से अनुमान, आयोजन देखरेख तथा मूल्यांकन और अन्वेषण, महिलाओं के अधिकार और संबंधित कानून, महिलाओं की सक्षमता हेतु सरकारी कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, जंगल, जमीन और जानवर इत्यादि-प्राकृतिक संसाधनों के संचालन जैसे क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष समानता का विचार का उपयोग और पंचायतों के संदर्भ में शासन। इस प्रशिक्षण में निवृत्त सरकारी अधिकारियों सहित सरकारी विभागों के 30 व्यक्तियों और जीआरसी तथा यूएनएफपीए के कर्मचारियों को अलावा गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया था। प्रशिक्षण के दौरान कुछ निश्चित विषयों के बारे में विविध विशेषज्ञों का समर्थन मिला था। इन प्रशिक्षणों में मुख्यतया स्वास्थ्य, हिंसा, प्राकृतिक संसाधनों का संचालन और स्वशासन जैसे विविध क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष भेदभाव के सवाल दाखिल करने हेतु पर्याप्त कौशलों एवं साधनों से सहभागियों को सुसज्जित करने पर बल दिया था। प्रथम चरण के बाद सहभागियों ने दलों में विभक्त होकर पाँच जिलों में प्रशिक्षण कार्य हाथ में लिया था और दूसरे चरण के आरंभ में उसमें वे जो कुछ सीखे थे उसका आदान-प्रदान किया था। प्रशिक्षकों ने अपने मुद्दे प्रस्तुत किए और प्रशिक्षण की प्रभावी डिजाइन हेतु अपने मंतव्य दिये, सहभागी साधनों के उपयोग की बात की। इसका अंग्रेजी व गुजराती में ब्यौरेवार विवरण तैयार हो रहा है।
- राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर जिलों के भारत-पाक युद्ध (1965 और 1971) के निर्वासितों को नागरिकता के अधिकार देने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने 'पाक-विस्थापित संघ' को समर्थन दिया गया।

दलित

- राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर जिलों में जमीन के अलगाव के बारे में प्रादेशिक कार्यशाला आयोजित करने के बाद जून 2004 में तहसील स्तर के सात प्रशिक्षण आयोजित किये गए और उनमें 253 स्त्री-पुरुष सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया था। इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: (1) प्रभावी जाति द्वारा जमीन पर किये गए कब्जों की स्थिति के विषय में सामान्य समझ बनाना। (2) लैंड टेनेन्सी एक्ट-1995 के बारे में सहभागियों को अभिमुख करनी। (3) कब्जे की जमीन हेतु कानूनी व्यूहरचना विकसित करना। 3230 बीघे के लगभग जमीन के किस्से हाथ में लिये गए थे और 169 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई थी।
- राजस्थान के जोधपुर व बाड़मेर में 'दलित अधिकार अभियान' की तहसील स्तर की आठ समितियों के 38 प्रतिनिधियों की बनी प्रादेशिक समिति की दूसरी बैठक कार्यकारिणी का गठन करने के उद्देश्य से मिली थी। उसमें बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और दर्शन के बारे में भी बात की गई थी। ग्राम स्तरीय समस्याओं की चर्चा करने के साथ-साथ समुदाय में स्त्री-पुरुष भेदभाव के सवाल

मुख्य प्रवाह में आएं, उसके लिए उसमें कार्यलक्ष्यी योजना के विषय में भी चर्चा की गई। उससे तहसील स्तर पर मात्र महिलाओं की अलग समितियों की रचना करना तय हुआ और ऐसी चार समितियों का गठन तो हो भी गया। नौ गाँवों में स्त्री-पुरुष भेदभाव का विश्लेषण किया गया और इस तरह स्त्रियों व पुरुषों के बीच काम का विभाजन कैसे हुआ है यह समझाया गया। समुदाय की महिला नेताओं की क्षमता बढ़ाने हेतु 40 महिलाओं के लिए गुजरात के कच्छ में 'कच्छ महिला विकास संगठन' का एक शैक्षिक प्रवास आयोजित किया गया। समुदाय में स्त्री-पुरुष भेदभाव के सवाल पर जागरूकता पैदा हो, इसके लिए 'कलाकार विकास समिति' द्वारा नौ गाँवों में जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें शासन में महिलाओं की भागीदारी, घरेलू हिंसा, स्त्री-पुरुष की भूमिकाओं और स्त्रयों पर काम का तीन गुना बोझ इत्यादि विषय के मुद्दे उठाये गए थे।

- 'दलित अधिकार अभियान' द्वारा विगत तीन माह के दौरान भेदभाव के 13 मामले हाथ में लिये गए। उनमें से एक मामला जोधपुर जिले की मंडोर तहसील के बालेखा गाँव में एक दलित महिला पतासी देवी का था। इसके साहसिक प्रयासों की वजह से प्रदेश की लगभग 100 महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय के समक्ष न्याय की माँग के साथ एक पूरे दिन धरना आयोजित किया था। कलेक्टर ने द्रुत कार्यवाही का भरोसा दिया था पर अभी तक उसे न्याय नहीं मिला।
- राजस्थान में नौ जिलों में शुरू किये गए जल संरक्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण के दौरान लगभग 100 छोटी-बड़ी टंकियां बनवाई गई हैं। इनसे लगभग 300 परिवारों को लाभ होगा।

विकलांगता

- पहुँच के अन्वेषण से संबंधित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में प्लेनेट हैल्थ और अहमदाबाद की अंबावाड़ी की आईसीआईसीआई बैंक की शाखा के दो मकानों का अन्वेषण हाथ में लिया गया। प्लेनेट हैल्थ का ब्यौरेवार विवरण तैयार किया गया है और संचालकों तथा स्थपतियों के साथ सुझावों का आदान-प्रदान किया गया है। अन्य मकानों का विवरण तैयार हो रहा है।
- विकलांगों की समस्याओं को मुख्य प्रवाह में लाने हेतु 'अंधजन मंडल' जैसी सहभागी संस्थाओं के सहयोग में जागृति और अभिमुखता के प्रशिक्षण आयोजित किये गए। पीआरए पद्धति का उपयोग समुदाय के पुनर्वास कार्यकर्ता हेतु प्रशिक्षण में करके विकलांगों के सवालों विषयक तथा अवरोधमुक्त पर्यावरण संबंधी समझ उत्पन्न की गई। नागपुर के 'युवा' के कार्यकर्ताओं हेतु 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' के साथ मिल कर उनके कार्यकर्ताओं में विकलांगता के सवालों के समावेश में विकलांगता के समावेश हेतु समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका के विषय में 'आकाशवाणी' में साक्षात्कार दिया गया।

पुनर्वास

- गुजरात के कच्छ में महिलाओं को उनकी सक्षमता के लिए जीवन निर्वाह हेतु प्रोत्साहन देने हेतु 350 महिलाओं के 18 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। उनकी मासिक बैठकें और उनकी भूमिका अब नियमित हो गई है। पिछले तीन माह दौरान लगभग 300 महिलाओं के लिए सहभागी कौशल का काम किया गया। इसलिए कसीदाकारी हेतु महिला कारीगरों के कौशल में गुणवत्ता के आधार पर क्रमांकन किया गया। कारीगरों को तीन श्रेणीयों में विभाजित किया गया। इसके आधार पर अब काम का वितरण किया जाएगा।
- 'दोरी जीवन निर्वाह संसाधन केन्द्र' को एक स्वतंत्र दर्जा देने हेतु उसके पंजीकरण की कार्यवाही शुरू की गई है और 'इरमा' के सहयोग में ब्यौरेवार धंधे की योजना तैयार की गई है। बाजार के साथ संबंध मजबूत बनाने हेतु 'दोरी' ने दो प्रदर्शनों में भाग लिया था: (1) इंडक्स्ट-सी द्वारा सूरत में आयोजित हस्तकला हथकरघा प्रदर्शन (2) वेंटेज मीडिया सेंटर द्वारा आयोजित कच्छी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला।

(2) नागरिक नेतृत्व और शासन

ग्रामीण शासन

- गुजरात में अहमदाबाद जिले की 100 और साबरकांठा जिले की 20 पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्माण कार्य के संबंध में एक दिवसीय अभिमुखता प्रशिक्षण दी गई। उसमें निर्माण कार्य के विविध प्रश्नों, निर्माण कार्य हाथ में लेने वाले कांट्रेक्टरों और उप-कांन्ट्रेक्टरों जैसे एजेंट होने के गुण-दोष, टेंडर भरने, आयोजन में समुदाय की भागीदारी, समुदाय की सम्पति की जरूरतों, स्थान और आकार आदि मुद्दों का समावेश किया गया। निर्माण कार्य पर समुदाय की देखरेख पर प्रशिक्षण में बल दिया गया। निर्माण कार्य पर समुदाय की देखरेख पर प्रशिक्षण में बल दिया गया और कार्यवाही के संचालन पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इन प्रशिक्षणों से पहले कर्मचारियों की आंतरिक क्षमता बढ़ाने के लिए इसी प्रश्न पर एक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सहभागियों हेतु साहित्य भी तैयार किया गया। प्रथम चरण में चार छोटे समूहों के प्रशिक्षण आयोजित किये गए और ऐसे 16 प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इससे पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि सामाजिक सम्पत्ति के निर्माण कार्य पर देखरेख रखने के लिए सक्षम होंगे।
- गुजरात में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के तहसील स्तरीय नेटवर्क्स को मजबूत करने के लिए नेतृत्व और शासन के संबंध में तीन दिवसीय एक आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में अहमदाबाद जिले की तीन तहसीलों- दसक्रोई, धोलका और विरमगाम की 25 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ संगठन, नेटवर्किंग और नेतृत्व के कौशलों पर बल दिया गया।
- पिछले तीन माह के दौरान गुजरात में तीन जिलों के स्वशक्ति परियोजना के भागीदार संगठनों को प्रशिक्षण में स्त्री-पुरुष भेदभाव और शासन पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। इसके उपरांत, दो तहसीलों के पयनित पंचायत प्रतिनिधियों को दूसरे दौर के प्रशिक्षण में सहयोग दिया गया।
- राजस्थान में बिलाड़ा, मंडोर बालेसर तहसील की 30 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा को मजबूत बनाने का काम विशाल स्तर पर हुआ है। आंगनवाड़ी के लिए महिला सहयोगिनियों के चयन पर ध्यान दिया गया क्योंकि ग्राम सभा में फरवरी की बैठकों के दौरान कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। इन पंचायतों के अधीन बी.पी.एल की सूची की जाँच करवाई जा रही है ताकि पंचायत चुनाव का तीसरा दौरा शुरू होने से पहले उनकी अंतिम सूची तैयार हो सके। इन पंचायतों में आई.सी.डी.एस. योजना के अमल पर देखरेख रखने संबंधी प्रयास हाथ में लिए गए है।
- पंचायतों के चुनाव का तीसरा दौर आ रहा है तब पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में 9 गैर-सरकारी संगठनों ने साथ मिलकर पंचायतों की स्थिति के संबंध में एक अध्ययन करने के स्वरूप पर चर्चा की थी।
- गुजरात में 'पंचायत जगत' और राजस्थान में 'स्वराज' द्वैमासिक समाचारपत्र नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। गुजराती 'पंचायत जगत' का महिला और शासन विषय पर एक विशेषांक तैयार किया गया था और उसमें महाराष्ट्र की तमाम महिलाओं की बनाई हुई एक पंचायत की सचित्र कहानी प्रस्तुत की गई थी।

शहरी शासन

- अहमदाबाद में 19-5-2004 को एक राज्य स्तरीय विमर्श सभा का आयोजन किया गया था। उसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, पालिकाओं के अधिकारियों और नागरिक नेताओं की क्षमता वृद्धि की जरूरतों पर ध्यान दिया गया था। ये जरूरतें दूरी करने की व्यूह रचना भी उसमें तय की गई थीं। शहरी विकास विभाग, एडीबी, जेयूडीसी आदि के अधिकारियों, शहरी आयोजकों और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं की विशेषज्ञ सेवाएं उसमें उपलब्ध हुई थीं।
- गुजरात में धोलका, साणंद और भचाऊ नगरों में 'नागरिक सहयोग केन्द्र' चलते हैं। अब खेडब्रह्मा और अंजार नगरों में भी उनकी स्थापना की गई है।
- गुजराती में 'नगरवाणी' नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। उसमें नागरिकों की आवाज प्रस्तुत की जाती है।

- पिछले तीन माह के दौरान साणंद और धोलका नगर में असहायता का आकलन किया गया है और फेरी वालों के शोषण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। नगरपालिका के साथ मिलकर फेरी वालों की एक सूची तैयार की गई है ताकि सामान्य फीस लेकर उनका पंजीकरण किया जा सके और अभी जो वे निजी व्यक्तियों को रोज-रोज फीस चुकाते हैं वह बंद हो। इन नगरों से संबंधित कई सवाल खड़े किये गए और उन समस्याओं के हल के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन दोनों नगरों में नागरिकों को पालिका द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर देखरेख रखने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। इन सेवाओं की नियमितता और गुणवत्ता सहेजने हेतु उनके और नगरपालिका के बीच संवाद शुरू किया गया है। पेय जल, कचरे के एकत्रीकरण और गटर साफ करने के बारे में यह प्रक्रिया शुरू हुई है।
- खेड़ब्रह्मा में 'नागरिक सहयोग केन्द्र' द्वारा गुजरात में साबरकांठा जिले के 6 गैर-सरकारी संगठनों ने साथ मिलकर नगर की सेवाओं की देखरेख हेतु रिपोर्ट कार्ड पद्धति के संस्थागत स्वीकार हेतु प्रयास किया है।
- गुजरात में अंजार में 'नागरिक सहयोग केन्द्र' द्वारा ज्होनवास के समुदाय के 25 परिवारों के स्थानांतरण और पुनर्वास की समस्या के हल की दिशा में काम शुरू किया गया है। भूकंप के बाद की नई विकास योजना में इन परिवारों का समावेश नहीं किया गया। इन परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया और वैकल्पिक व्यवसाय किये बिना ही सत्ताधिकारियों ने उन्हें विस्थापित कर दिया है। अंजार के निचले क्षेत्रों में रेलवे लाइन के पास अत्यंत घने क्षेत्र में रहने वाले जोगी समुदाय के साथ भी इस संबंध में ही संवाद उत्पन्न हुआ है। झाड़ू बनाने वाले 25 से 30 परिवारों की जमीन नियमित कराने की प्रक्रिया भी चालू है और इन परिवारों की सूची बनवाई जा रही है और जरूरी कागजात एकत्र किये जा रहे हैं।
- भचाऊ के 'नागरिक सहयोग केन्द्र' द्वारा गैर-सरकारी संगठनों और सत्ता वालों के बीच की व्यावहारिक समस्याएं हल करने के लिए और क्रियान्वयन की व्यवस्था बनाने के लिए समन्वय किया जा रहा है। चार गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग में भचाऊ नगर में लोगों के द्वारा निर्मित असुरक्षित मकानों को पुनः मजबूत बनाने के संदर्भ में एक विगतवार सर्वेक्षण हाथ में लिया गया है। लाभार्थियों से मिलकर मुआवजे की राशि का उपयोग करके घरों में सुधारने-बढ़ाने के काम किए जाएंगे। इन घरों की जमीन को नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
- भचाऊ में पुनर्वास की प्रक्रिया के विषय में विश्व बैंक की एक टुकड़ी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत 1767 परिवारों की जमीन नियमित बनाने की प्रक्रिया, चार गैर-सरकारी संगठनों को पुनः मजबूत बनाने की प्रक्रिया और नगर के साथ

शेष पृष्ठ 36 पर

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-8012967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।